

PERFECT



साप्ताहिक

समसामयिकी

जनवरी 2019

अंक 2

विषय सूची

जनवरी 2019
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

01-19

- रैट-होल माइनिंग: खदान में मृत्यु का पर्याय
- नई ई-कॉमर्स नीति: एक अवलोकन
- परिवार कल्याण के लिए अम्ब्रेला योजना
- भारत-बांग्लादेश के बीच गहराता संबंध
- आईडब्ल्यूसी: खेलों का संरक्षक
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जुड़ाव के लिए एक नई पहल
- सीबीडी को भारत का छठवाँ राष्ट्रीय रिपोर्ट

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

20-25

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

26-32

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न

33-41

सात महत्वपूर्ण तथ्य

42

सात महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

43-45

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

46

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. रैट-होल माइनिंग: खदान में मृत्यु का पर्याय

चर्चा का कारण

हाल ही में मेघालय में 370 फुट गहरी अवैध खदान में लायतिन नदी का पानी आ जाने के कारण 15 श्रमिक फंस गये। उन लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियाँ काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने चार साल पहले मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन राज्य में अवैध खनन गतिविधियाँ अब भी जारी हैं जो लोगों की जान जोखिम में डाल रही है।

रैट-होल माइनिंग क्या है?

मेघालय के जयंतिया पहाड़ियों में छोटी खानों से कोयला निकाला जाता है जो कि आमतौर पर 3-4 फुट चौड़ी होती है।

पहाड़ों पर उपस्थित होने के कारण तथा मशीनों के न पहुँच पाने के कारण सीधे मजदूरों से काम लेना ज्यादा आसान पड़ता है। मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। चूँकि मजदूर इन खदानों में चूँकों की तरह घुसते हैं इसलिए इसे रैट माइनिंग कहा जाता है।

रैट-होल माइनिंग के प्रकार

मेघालय में करीब 64 करोड़ टन कोयले के भण्डार हैं लेकिन यहाँ अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं मिलता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। चूँकि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता इसलिए कोयला निकालने के लिए ज्यादा खर्च से बचने के लिए मजदूरों की मदद ली जाती है।

- कोयला खनन के लिए मुख्यतः दो तरीके हैं-
 - पहला तरीका है सरफेस माइनिंग (सतह खनन)
 - दूसरा तरीका है भूमिगत खनन (Under ground mining)
- जब कोयला पृथ्वी की सतह से 200 फीट

से कम में उपलब्ध होता है तो सतह खनन का तरीका अपनाया जाता है। खुली खदानों से कोयला उन क्षेत्रों से निकाला जाता है जहाँ वर्षा कम होती है।

- जिन कोयला भण्डारों में सतह खनन मुमकिन नहीं होता है (200 फीट से अधिक गहराई पर उपलब्ध) तो वहाँ भूमिगत खनन अपनाया जाता है। भूमिगत खनन में बड़ी पूँजी की जरूरत होती है।

स्थानीय नागरिकों के अधिकार

अनुच्छेद 48 क: राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

6ठी अनुसूची: इसमें पूर्वोत्तर राज्यों यथा- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। हमें स्थानीय और स्वदेशी समुदायों को समान और अभिन्न नागरिकों के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को स्वीकार करने के लिए समाज को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक शहरी खनन को विकसित करने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो भी नियम कानून बनाये जाए तो इसमें भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कौन हैं ये खान श्रमिक?

इन खदानों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर स्थानीय न होकर बाहर के होते हैं। आमतौर पर वे नेपाल, बांग्लादेश और असम से आते हैं। बाहर से आए गरीब मजदूरों को इन खतरनाक खदानों की जानकारी नहीं होती है। इसका कोल माफिया फायदा उठाते हैं और उनसे खनन कराते हैं। ज्ञातव्य है कि इस तरह के खनन में अधिकतर बच्चे जुड़े हुए हैं।

भारत में कोयला: भारत में कोयला अधिकांशतः पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय में भारत के कोल रिजर्व हैं। असम और मेघालय में कोयले की माइनिंग उस तरह से नहीं की जा सकती जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड में होती है क्योंकि इन राज्यों में समतल भूमि है वहीं पूर्वोत्तर में पहाड़ हैं।

खनन क्षेत्र में श्रमिकों के मौत का कारण

उचित प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की कमी होने की वजह से हर साल दुनियाभर में कोयला खदान में काम करने वाले हजारों मजदूरों की मौत हो जाती है। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है। हालांकि इसमें समय-समय पर किये गये तकनीकी सुधार और सुरक्षा उपायों की वजह से मौतों की संख्या कम हुई है लेकिन अब भी कोयला खनन जोखिम भरा काम है। इसके अलावा खानों के अंदर होने वाली मौतों की अनेक और भी कारण होते हैं जो निम्न हैं-

- खानों के अंदर सबसे ज्यादा हादसे दीवार गिरने की वजह से होते हैं। ये दीवार खान के अंदर स्लैब की तरह होते हैं। कई बार ये स्लैब भारी दबाव में टूट जाते हैं।
- राज्यों द्वारा प्रवर्तित श्रम कानूनों के उचित संचालन के अभाव में स्थानीय उद्यमियों द्वारा श्रम के सबसे सस्ते स्रोतों अर्थात् बच्चों का शोषण किया जाता है।
- जहरीली गैसों अर्थात् हाइड्रोजन सल्फाइड तथा विस्फोटक प्राकृतिक गैसों का रिसाव होता है। इसमें खासकर मिथेन और धूल शामिल हैं।
- इसके अलावा, खानों का ढहने, खुदाई के कारण भूकंप की स्थिति बनने आदि से भी जान-माल का संकट उत्पन्न होता है।
- खदान में पानी का रिसाव, खराब उपकरण का इस्तेमाल और खनन प्रक्रिया में लापरवाही बरतना शामिल है।
- आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाना।
- मजदूरों में जागरूकता की कमी तथा अनेक कंपनियों द्वारा मजदूरों को मुहैया कराने वाले सुरक्षा उपकरणों की कमी।

रैट-होल माइनिंग के कारण

रैट-होल माइनिंग (Rat Hole Mining) के निम्नलिखित कारण हैं-

- पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले का संचित भण्डार।
- सस्ते दाम पर श्रमिकों की उपलब्धता।
- खनन माफियाओं का बोलबाला।
- राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
- कोयले की उच्च गुणवत्ता न होने पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की अनदेखी।
- लोगों द्वारा जमीन तथा इसमें उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार समझना।
- पट्टा और निलामी की व्यवस्था।
- कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 का अभी तक लागू न होना, इसके साथ ही रैट-होल माइनिंग के क्षेत्र में स्पष्ट नीति का अभाव।
- कोयला खदानों का अवैध संचालन।

रैट-होल माइनिंग का प्रभाव

एनजीटी के पास दायर की गई याचिका में असम दीमासा छात्र संघ और दीमा हसाओ जिला समिति के अनुसार मेघालय में रैट-होल खनन ने कोपिली नदी (यह मेघालय और असम से होकर बहती है) को अम्लीय बना दिया है। एनजीटी ने अपने आदेश में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खनन क्षेत्रों के आसपास सड़कों का उपयोग कोयले के ढेर को जमा करने के लिये किया जाता है जो इस पूरे क्षेत्र में ट्रक और अन्य वाहनों के ऑफ-रोड आवागमन की वजह से क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचता है। यह वायु, जल और मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। एनजीटी के अनुसार, बरसात के मौसम में रैट-होल खनन की वजह से घटित अनेक मामले संज्ञान में आते हैं। खनन क्षेत्रों में जल प्लावन की वजह से कर्मचारियों/श्रमिकों सहित कई अन्य व्यक्तियों की मौत हो जाती है।

जिन इलाकों में कोयला खनन होता है वहां खेती नहीं हो पाती, न ही उन इलाकों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता रह जाती है। इन इलाकों में पानी इतना अधिक प्रदूषित है कि यहां नदियों का पानी भूरे-संतरे रंग का दिखता है। ज्यादातर लोगों को पीने के पानी को घंटों पैदल चलकर लेने जाना पड़ता है।

शिलॉन्ग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी में पर्यावरणीय अध्ययन के प्रोफेसर सुमरलिन स्वेर और ओपी सिंह ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा

है कि कोयला खनन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जयंतिया हिल्स की नदियों पर पड़ा है।

- रैट-होल माइनिंग से अस्थमा और आँखें खराब होने की समस्या तथा खान में उड़ती तेज धूल की वजह से साँस लेने में दिक्कत होती है। यह धूल फेफड़े में जमा हो जाती है जिससे कि फेफड़ा खराब हो जाता है।
- कोयले की खानों में जहरीली गैसों और मरकरी जैसे कई घातक तत्व भी होते हैं जिसकी वजह से खनिक मजदूरों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या होने की संभावना बढ़ जाती है।
- पर्यावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड का एक कारण कोयला खनन भी है जो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है।
- खानों से निकलने वाले पार्टिकुलेट पदार्थों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस (Chronic Bronchitis) (साँस संबंधी बीमारी) और समय से पहले मौतें हो जाती हैं।

महत्वपूर्ण हादसे

- भारत में 1958 में चिनकुरी कोयला खदान में भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 182 कोयला मजदूरों की मौत हो गई। 1979 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म काला पत्थर इसी घटना पर आधारित थी।
- धनबाद के कोयला खदान में हुए हादसे के 10 साल बाद 1975 में धनबाद के चासनाला कोयला खदान में हादसा हुआ जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी जिसमें पानी घुसने से 372 खनिकों की मौत हो गई। जिसका मुख्य कारण पालागार में जमा करीब 5 करोड़ गैलन पानी खदान के अंदर घुस गया था।
- 1985 में धनबाद में कोयला खदान में भयंकर विस्फोट हुआ जिसके चलते 268 खनिक मारे गये। इस घटना को ठोरी कोलियरी आपदा के रूप में भी जाना जाता है।
- वर्ष 1994 में तत्कालीन बिहार के न्यू कंडा कोयला खदान आपदा में 55 लोगों की मौत हो गई थी। इस खदान में आग लगने की वजह कार्बन मोनो ऑक्साइड का जमा होना था।
- 1995 में गजलीटांड कोलियरी खदान हादसा जिसमें कटरी नदी का पानी खदान में घुसने से 64 खनिकों की मौत हो गई थी।
- 1999 में प्रासकोल कोयला खदान में हुई दुर्घटना में 6 खनिकों की मौत हो गयी थी।
- वर्ष 2000 में कवाड़ी खदान दुर्घटना में 10 श्रमिकों की मौत हुई थी।
- वर्ष 2001 में बागडीगी खदान दुर्घटना में 29 खनिकों की मौत हुई थी।
- वर्ष 2003 में गोदावरी खदान में 17 खनिकों के डूबने से मौत हो गई।

- वर्ष 1942 में चीन के होनकेको कोयला खदान दुर्घटना में 1549 लोगों की जान चली गई थी। जिसे केनशिहु कोलियरी आपदा के नाम से जाना जाता है। ये दुर्घटना दुनिया के सबसे बड़े कोयला खदान दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है।
- 1906 में फ्रांस के कौरियर्स खान में आग लगने से 1 हजार 99 श्रमिकों की मौत हुई थी।
- वर्ष 1914 में जापान के मित्सुबिशी होन्ग्यो कोल माइंस हादसे में 67 खनिकों की मौत हो गई।
- वर्ष 1913 में यूनाइटेड किंगडम में संघ हेनेड कोयला खदान दुर्घटना में 439 लोग मारे गये।
- वर्ष 2018 (अक्टूबर) में चीन के शादोंग प्रांत के कोयला खान में हुए हादसे में 13 से ज्यादा श्रमिकों की मौत हो गई थी।

चुनौतियाँ

- सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, NGT द्वारा प्रतिबंध के आदेश से पहले मेघालय का वार्षिक कोयला उत्पादन करीब 6 मिलियन टन था। ऐसा माना जाता है कि इस उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा रैट-होल खनन प्रथा द्वारा प्राप्त होता था। एनजीटी ने केवल रैट-होल खनन पर ही नहीं बल्कि सभी 'अवैज्ञानिक और अवैध खनन' पर भी प्रतिबंध लगाया था। मेघालय में खनन हेतु पहले से ही 'मेघालय खान और खनिज नीति, 2012' लागू है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम सहित तमाम केंद्रीय कानूनों के तहत मंजूरी तथा अनुमति लेनी आवश्यक होती है। लेकिन अकसर इन नियमों की अवहेलना होती है। इस उद्योग से जुड़े निजी दावेदारों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी निजी दावेदार सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में कोयला खनन करते रहे हैं।
- एक NGO के अनुसार जयंतिया पहाड़ियों के आसपास करीब 70 हजार बच्चे रैट माइनिंग का काम करते हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मेघालय में रैट होल माइनिंग पर बैन लगाया था, जो कि महज एक दिखावा साबित हुआ, इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- रैट-होल खनन करने वाले मजदूरों की अकसर वहां मौत हो जाती है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। पिछले महीने, मेघालय में अवैध खनन में नेताओं की भूमिका के खिलाफ आवाज उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता एग्नेस खारशिंग और उनकी सहयोगी अनिता संगमा पर हमला

हुआ था। इससे पहले एग्नेस ने शिलॉन्ग पुलिस को अवैध रूप से ले जाए जा रहे कोयले के पाँच ट्रकों के बारे में जानकारी दी थी।

- वहीं ग्रांड काउंसिल ऑफ चीफ ऑफ मेघालय के चेयरमैन जॉन एफ खारसिंग का मानना है कि कोयला खनन पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव है। खारसिंग जयंतिया हिल्स के ट्राइबल नेताओं के मुखिया हैं। वह कहते हैं, “यहां 12-13 तरीके की लैंड ऑनरशिप है। देश के हर हिस्से में लीज एंड ऑक्शन सिस्टम (पट्टा और नीलामी) चलता है सिवाय मेघालय के।”
- 2017 में पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने लिखा था कि मेघालय में कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट, 1973 कभी भी लागू नहीं किया गया क्योंकि इससे स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता है। संगमा ने Mines- Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 को भी मेघालय से हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने का अनुरोध किया था।
- कोयले की ये खान काफी पुरानी और अवैध है। इस तरह की खानें मेघालय में सामान्य बात है। कोयले की ये खानें बहुत सक्रिय

होने के कारण खतरनाक होती हैं। इन खानों से कोयला निकालने के लिए मजदूर बाँस की सीढ़ियों से खान के अन्दर जाते हैं जिससे अकसर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

आगे की राह

- रैट होल माइनिंग की घटनाओं से बचने के लिए मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- खनिक मजदूरों को खदान और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की शिक्षा भी दी जाने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा खदान की सुरक्षा और खनन के लिए सही तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है।
- तकनीकी जाँच और उससे जुड़ी शोध पर गहराई से काम करने की जरूरत है।
- खनन के दौरान सभी मानक प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ ही आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- आधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए ताकि कोयला खदानों में आये दिन होने वाले हादसों को कम किया जा सके।
- कोयला खनन के लिए बने प्रावधानों का क्रियान्वयन उचित तरीके से हो, ये सुनिश्चित

किया जाना चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

- यह भी आवश्यक है कि कोयला खनन क्षेत्रों में न्याय के मुद्दे पर वैज्ञानिकों, योजनाकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और नागरिक समाज में एक व्यापक बहस होनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण क्षरण को रोका जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए), विश्व (भारत सहित) के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

2. नई ई-कॉमर्स नीति: एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने नई ई-कॉमर्स नीति जारी की है। इस नीति के माध्यम से सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर जो नए नियम लागू किए हैं उससे एक्सक्लूसिव डील, कौशबैक और बंपर डिस्काउंट जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। सरकार ने ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में भी बदलाव किया है।

परिचय

भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। वर्ष 2016 में भारत में ई-कॉमर्स उद्योग का आकार 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका 2020 तक बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 2017 के दौरान भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में 24.08% की वृद्धि दर्ज की गई थी और

इस क्षेत्र का कुल टर्नओवर 20.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समकक्ष था। भारत में कुल खुदरा व्यापार में से वर्ष 2017 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र का हिस्सा 4.2% था, जिसका 2020 तक 5% तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में ई-कॉमर्स के इस आशाजनक प्रदर्शन ने विभिन्न तिमाहियों में इसके निवेश को आकर्षित किया है। टाटा, रिलायंस और बिड़ला जैसे लगभग सभी प्रमुख घरेलू कॉर्पोरेट दिग्गज इस क्षेत्र में उतर गये हैं।

दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे अमेजन और अलीबाबा ने इसमें हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आकार और वृद्धि की संभावना के चलते ही दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से भारतीय बाजार के ई-कॉमर्स क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास दर का कारण भारत की बड़ी युवा आबादी, मोबाइल उपभोक्ताओं, इंटरनेट की उच्च दर तथा क्रेडिट कार्डों के बढ़ते उपयोग हैं। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने तथा बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के सरकारी प्रयास को भी इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

संशोधन से पहले की स्थिति

उपर्युक्त सारी घटनाएँ एक ऐसे माहौल में संपन्न की गई हैं जहाँ इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति के बारे में अस्पष्टता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निशान को छूने तथा विश्व का सबसे बड़ा निवेश प्राप्त करने के बाद भी, भारत को अभी भी इस

क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति को अंतिम रूप देना बाकी है।

वर्तमान में, इस क्षेत्र को विभिन्न व्यक्तिगत नीतियों जैसे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आशाजनक वृद्धि के बाद भी भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों ने कथित तौर पर मौजूदा प्रतिस्पर्धा नीति, एफडीआई मानदंडों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) तथा कराधान आदि का उल्लंघन किया है। इसके अलावा इस क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश प्रमुख कंपनियों के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहारों तथा अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इन कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में भी मामले दर्ज किये गए थे। इसके बावजूद भी इन कंपनियों के व्यापार फल-फूल रहे थे।

इन घरेलू चुनौतियों के अलावा, भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियाँ भी हैं। दिसंबर 2017 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारतीय अधिकारियों ने क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स की सुविधा देने वाले नियमों पर बातचीत करने से इंकार कर दिया था। भारत के अनुसार वह इस तरह के बहुपक्षीय नियमों के लिए तैयार नहीं है। चूँकि देश में ई-कॉमर्स अभी भी विकसित हो रहा है इसलिए डेटा के स्थानीकरण और सुरक्षात्मक उपायों जैसे मुद्दों पर सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने कई गंभीर प्रश्न उठाये हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को महसूस करते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में ई-कॉमर्स उद्योग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रूप रेखा तैयार करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 30 जुलाई 2018 को हितधारकों के लिए अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट जारी की थी।

क्या है ई-कॉमर्स नीति?

ई-कॉमर्स नीति हितधारकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील डिजिटलीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाना है। यह नीति शासन के विनियमन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों की पहचान करेगी।

साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा ई-कॉमर्स के माध्यम से 'डिजिटल इंडिया' अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेगी। यह मसौदा नीति विभिन्न एजेंसियों को निर्धारित प्रावधानों के पालन के लिए भी प्रस्तावित करता है।

यह निम्नलिखित प्रावधानों को इंगित करती है-

- ई-कॉमर्स कंपनियों को दो साल के अन्दर डिस्काउंट देना बंद करना होगा।
- ई-कॉमर्स के क्षेत्र में 49% तक की एफडीआई की अनुमति होगी।
- ई-कॉमर्स फर्मों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना की जाएगी।
- इस क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण की जाँच के लिए सीसीआई के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।
- संबंधित संस्थाओं के बीच ब्रांडेड सामानों की थोक खरीद निषिद्ध होगी।
- ई-कॉमर्स फर्मों, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के सर्च इंजनों द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को भारत में ही संग्रहित करना पड़ेगा।
- डेटा स्थानीकरण के संबंध में श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा।

आवश्यकता क्यों?

- नए नियम के अनुसार इन प्लेटफॉर्मों को किसी भी तरह के पक्षपात से मुक्त करना है।
- नियमों में इस संशोधन का मकसद घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करना है क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खरीददारों को बड़े पैमाने पर दी जा रही रियायतों को लेकर घरेलू कारोबारी शिकायत करते रहे हैं।
- सरकार के अनुसार, 'साल 2016 के प्रेस नोट 3 में जो बातें कही गई थीं, उन्हें अच्छी तरह से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।' इसमें कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों कीमतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से असर नहीं डाल सकते।
- सरकार के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों के सहयोगी इकाईयों की तरफ से डिस्काउंट को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं क्योंकि ये थोक विक्रेताओं की तरह छूट दे रहे थे।
- इसका तात्पर्य यह भी है कि अब ग्राहकों को पहले की तरह ई-कॉमर्स साइट्स पर

बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इससे छोटे कारोबारियों को फायदा हो सकता है, जिनके व्यवसाय में ई-कॉमर्स कंपनियों ने बड़ी संघर्ष लगाई है।

- व्यापारी समुदाय लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि ई-कॉमर्स कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्म पर सामान की बिक्री करके मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। उनके मुताबिक, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के खिलाफ भी था, जिसमें बिजनेस-टू-कंज्यूमर, जैसी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। हालाँकि, बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स में सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी है।
- इन बदलावों से सबको बराबरी का मौका मिलेगा तथा बाजार में नए वेंडर्स को भी उभरने का मौका मिलेगा।
- कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद यह एक बड़ी उपलब्धि है। यदि इसे उचित तरीके से क्रियान्वित किया गया तो ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किये जा रहे गड़बड़ी और भारी छूट आदि पर लगाम लग सकेगी।

क्या है वर्तमान स्पष्टीकरण?

- नई नीति के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी कोई भी इकाई सामान की बिक्री नहीं कर सकती।
- सरकार के नए नियम के मुताबिक, कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी आपूर्तिकर्ता को खास रियायत नहीं दे सकता है।
- इस संशोधन के बाद कैशबैक, एक्सक्लुसिव सेल या किसी पोर्टल पर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ किसी तरह की खास सेवा नहीं दे सकती हैं। ऑनलाइन रिटेल में एफडीआई की संशोधित नीति फरवरी 2019 से लागू होगी। इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियाँ सभी वेंडर्स को बिना भेदभाव के एक जैसी सेवाएँ मुहैया करवाएँ।
- नीति में कहा गया है कि किसी भी वेंडर को एक ई-कॉमर्स कंपनी के प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद का 25% से ज्यादा हिस्सा बेचने की इजाजत नहीं होगी। ई-कॉमर्स कंपनियाँ किसी भी विक्रेता को उसके प्रोडक्ट सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए नहीं कहेंगी।
- खरीददारों को दिया जाने वाला कैशबैक

का फायदा निष्पक्ष और भेदभाव रहित होना चाहिए। कंपनियों को इन दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में हर साल 30 सितंबर को आरबीआई में सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।

पक्ष में तर्क

- नये दिशानिर्देशों का सबसे बड़ा फायदा छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट तक बेचने वाली पारंपरिक कंपनियों को होगा। पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन मार्केट ने इन कंपनियों को बड़ा झटका दिया था। ऑनलाइन कंपनियों ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट्स और कैशबैक जैसे आकर्षक ऑफर्स देती है। साथ ही, घर में ही सामान पहुंचाने का भी लाभ उन्हें मिलता था। अब जब सरकार कैशबैक और डिस्काउंट पर लगाम लगाने जा रही है तो इससे पारंपरिक विक्रेताओं को लाभ होगा क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक नहीं रह जाएंगे।
- अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने सरकार की नई नीति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में खुदरा व्यापार पर नियंत्रण एवं दबदबे के लिए हर तरह की रणनीति अपनाई है।
- अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने के लिए जिन छोटी-छोटी ई-कॉमर्स कंपनियों के पास अपार संसाधन नहीं हैं, उनके लिए नई नीति किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इन बदलावों से सभी विक्रेताओं को समान अवसर उपलब्ध होंगे और सभी को ई-कॉमर्स की क्षमताओं के इस्तेमाल का मौका मिल जाएगा।
- अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खास वेंडरों को विशेष सुविधाएँ दिए जाने से परेशान छोटे विक्रेताओं के लिए लाभकारी होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग या इजी फाइनेंस ऑप्शन (सरल वित्तीय विकल्प) से संबंधित कोई भी सर्विस अब सभी विक्रेताओं को देना होगा, न कि किसी खास को। ई-कॉमर्स कंपनियाँ इन विशेष सेवाओं के लिए किसी थर्ड पार्टी सेलर से अतिरिक्त रकम नहीं वसूल सकेंगी।

विपक्ष में तर्क

- स्पष्ट है कि नियमों के कठोर होने से

अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वे बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को लुभाने में कामयाब रहे हैं लेकिन नया नियम लागू होने पर ऐसा संभव नहीं हो जाएगा।

- नई नीति के अनुसार अगर किसी कंपनी में ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस या इसकी गुप कंपनियों के शेयर हैं या उस कंपनी की इन्वेंटरी में ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस या इसकी गुप कंपनियों का नियंत्रण है तो उसे उस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात् किसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस से जुड़ी किसी भी कंपनी को उस मार्केटप्लेस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने उत्पादों की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। इसका तात्पर्य है कि अब क्लाउडटेल अमेजन (Cloudfair Amazon) पर अपने उत्पाद नहीं बेच सकती है।
- नई नीति में इन्वेंटरी (स्वयं वस्तु निर्माता कंपनी) आधारित प्रावधानों को भी कठोर बनाया गया है। अगर किसी वेंडर की इन्वेंटरी की 25 प्रतिशत से ज्यादा की खरीद मार्केटप्लेस या इसकी गुप कंपनियाँ करती हैं तो उसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के नियंत्रण की इन्वेंटरी ही माना जाएगा। इस प्रावधान से ब्राण्ड या सप्लायर किसी एक मार्केटप्लेस के साथ अनन्य रूप से नहीं जुड़ पाएंगे जैसा कि कई मोबाइल और वाइट गुड्स ब्राण्ड्स करते रहे हैं।
- चूँकि वेंडरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 25 प्रतिशत से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री से रोका गया है, इसलिए कई छोटे करोबारियों को झटका लगेगा। इन छोटे वेंडरों को नई जरूरतें पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी और इन्वेंटरीज में निवेश करना होगा।
- ई-कॉमर्स पर नई नीति का असर विदेशी निवेश और नई नौकरियों पर भी पड़ेगा। अमेजन ने अपनी भारतीय इकाई में अरबों डॉलर निवेश किए जबकि वॉलमार्ट ने मई 2018 में फ्लिपकार्ट को 16 अरब डॉलर में खरीदा है। कारोबार बढ़ने के कारण अमेजन और फ्लिपकार्ट ने बड़ी संख्या में वेयरहाउस बनाए और सप्लाइ चैन से जुड़ी नौकरियाँ पैदा कीं। अब नई नीति से उनके कारोबार की वृद्धि की गति धीमी हो सकती है,

जिसका सीधा असर निवेश और नौकरियों पर भी पड़ेगा।

आगे की राह

- ई-कॉमर्स विभिन्न मुद्दों जैसे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, घरेलू व्यापार, प्रतियोगिता नीति, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि का विकास करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमियों और उपभोक्ताओं के बढ़ते रूझान तथा हितों को ध्यान में रखते हुए इसे विनियमित किया जाना आवश्यक है। एक अनुकूल वातावरण और एक समान उद्योग नीति को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को एक जीवंत घरेलू उद्योग को आकार देने का भी ध्यान रखना चाहिए।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय दोनों मंचों पर भारत की स्थिति दर्शाने के लिए एक व्यापक नीति का होना आवश्यक है।
- मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के तहत अपनी विशाल आबादी के लिए भारत ई-कॉमर्स फर्मों को एक बड़ा बाजार प्रदान करता है।
- भारत की खुदरा एफडीआई नीति अस्पष्ट है। वर्तमान समय में चर्चा का जो विषय है वो ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन है, जबकि भारत में बड़े बनाम छोटे या सिंगल ब्राण्ड बनाम मल्टी ब्राण्ड एफडीआई नीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं भारत संरक्षणवाद में विश्वास नहीं रखता है साथ ही इसका स्पष्ट मत रहा है कि मुक्त व्यापार से उपभोक्ता कहीं भी अच्छी और सस्ती वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के आंतरिक व्यापार के लिए भी समान उपभोक्ता तथा गैर-संरक्षणवादी नियमों को लागू किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

3. परिवार कल्याण के लिए अम्ब्रेला योजना

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान 'परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना' में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

परिचय

समग्र योजना के तहत ये शामिल सभी पाँचों योजनाएँ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, जिनके लिए शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं:

- **स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए):** इसका उद्देश्य भारत के सभी उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देना और नागरिकों का सशक्तिकरण करना है। इसके तहत तीन वर्षों के लिए 1030.15 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ एसएनए को मंजूरी दी गई है।
- **गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति:** इसका उद्देश्य राज्यों को कंडोम, गर्भ-निरोधक गोलीयाँ, गर्भावस्था परीक्षण किट सहित अन्य गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति करना है, ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके और इसके साथ ही आबादी में स्थिरता भी लाई जा सके।

भारत सरकार ने दो नए गर्भ निरोधकों की शुरूआत कर देश के लोगों को उपलब्ध परिवार नियोजन के विकल्पों में विस्तार किया है। इनमें एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन के रूप में है और दूसरा गोली के रूप में है। ये गर्भ निरोधक वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। अब तक 10 राज्यों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और गोवा में इसकी शुरूआत की गई है। यह योजना देश के उच्चतम प्रजनन दर वाले 146 जिलों में लागू किया जा रहा है जिनका

देश की आबादी में 44 प्रतिशत योगदान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और वितरण में सुधार लाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर 'फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' (एफपी-एलएमआईएस) की शुरूआत की है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं तथा गर्भ निरोधकों और आशा कार्यकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी दी गयी है।

- **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) योजना का नाम अब स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (एचएसएचआर):** इसका उद्देश्य भारत और इसके राज्यों के लिए आबादी, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आँकड़ों को प्राप्त करना है। इसके साथ ही समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) करके भी इन आँकड़ों को हासिल किया जाएगा, जो विश्व भर में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक है। एनएफएचएस जिला स्तर तक नीति एवं कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आँकड़े मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 6 लाख परिवारों से एकत्र किए गए आँकड़ों पर आधारित है। यह पहली बार है जब आँकड़े जिला स्तर के अनुमान को भी बता रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अधिक संस्थागत प्रसवों और व्यापक टीकाकरण कवरेज की वजह से शिशु मृत्युदर में कमी आई है तथा लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 2005-06 (एनएफएचएस-3) में भारत की कुल प्रजनन दर 2.7 फीसदी थी जो एनएफएचएस-4 (2015-16) के सर्वेक्षण में घटकर 2.2 पर आ गई है। दूसरी ओर बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, चीन, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और अमेरिका जैसे देशों में यह दर भारत के मुकाबले कम है। हालांकि भारत की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। एनएफएचएस-3 में 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी यानी बाल विवाह की दर 47.4 फीसदी थी जो एनएफएचएस-4 अर्थात् 2015-16 में तेजी से घटकर 26.8 फीसदी पर आ गई है। नाबालिग लड़कियों

में प्रजनन दर भी 16 फीसदी से घटकर 7.9 फीसदी पर आ गई है।

इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार "दुनिया की 18 फीसदी आबादी भारत में रहती है और इतनी बड़ी आबादी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए जागरूकता के माध्यम से हम 2045 तक बढ़ती आबादी दर को स्थिर करने के लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे।" उनके अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि में भी काफी गिरावट आई है और जहां तक प्रजनन दर का सवाल है तो हमारा लक्ष्य इसे 2.1 फीसदी तक लाना है। इस लक्ष्य को देश के 36 राज्यों-संघ शासित राज्यों में से 24 ने तो लक्ष्य हासिल कर लिया है और आने वाले समय में शेष राज्यों में भी इसे पूरा कर लिया जाएगा।

- **गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन:** इसका उद्देश्य किफायती मूल्यों पर निम्न आय वाले समूहों के लिए परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है।
- **जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पीआरसी):** इसका उद्देश्य पीआरसी, विशेषकर उन केन्द्रों से जुड़ी योजना का किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा आकलन कराना है, जिन्हें आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

समग्र योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ-साथ उन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को भी अपनी ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान करना है, जिन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा है। इसका एक अन्य उद्देश्य बीमार लोगों की देखभाल से भी कहीं आगे बढ़कर आरोग्य (वेलनेस) की अवधारणा की ओर अग्रसर होना है, जिसके लिए पारम्परिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े समस्त साधनों का उपयोग किया जाएगा। गर्भ-निरोधकों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन का लक्ष्य आधुनिक गर्भ-निरोधक प्रसार दर (एमसीपीआर) को बेहतर करना, परिवार नियोजन में मदद करना और आबादी में स्थिरता सुनिश्चित करना है। 'एनएफएचएस' का लक्ष्य

स्वास्थ्य संबंधी सभी संकेतकों से जुड़े विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2017 को भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करना है। इसमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है जो रोगी के रोग पर केंद्रित, कुशल, प्रभावी और किफायती हो, जिसमें सेवाओं और उत्पादों की इतनी व्यापकता हो कि लोगों की सभी त्वरित जरूरतों को पूरा किया जा सके और इन्हें इधर-उधर अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़ें। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार हैं-

1. स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य है।
2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य है।
3. कुल प्रजनन दर (TFR) को 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 फीसदी के स्तर पर लाने का लक्ष्य है।
4. वर्ष 2025 तक पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्तमान के 167 से घटाकर 100 पर लाना। ज्ञातव्य है कि भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) 2015 में 29 प्रति हजार थी।
5. वर्ष 2025 तक पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन या वृद्धि रोक (stunting) की समस्या को 40% तक कम करना है।
6. शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करके 2019 तक 28 पर लाना। जबकि भारत में वर्ष 2016 में आईएमआर (IMR) 34 प्रति 1000 जीवित जन्म थी।
7. 2025 तक नवजात मृत्यु दर को 16 और जन्म दर को 'एकल अंक' में लाने का लक्ष्य है। वर्ष 2013 में भारत में नवजात मृत्यु दर (NMR) 28 प्रति 1000 जीवित जन्म थी।
8. वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को घटाकर वर्तमान स्तर के 1/3 पर लाना।

9. वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समयपूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य है।

10. क्षयरोग (टीबी) के नए मामलों में 85% तक कमी लाना और इस कमी दर को बनाये रखकर वर्ष 2025 तक क्षयरोग का उन्मूलन करना।
11. 2025 तक मौजूदा स्तर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
12. वर्ष 2025 तक एक वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करना।
13. वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दार्इयों/नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में कराये जाने का लक्ष्य है।
14. तम्बाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक कम करना।
15. वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा।
16. वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 25% की कमी लाना।

लाभ

गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन और गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह में शामिल लोगों पर लक्षित किया जाता है। हालांकि, कुल मिलाकर यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है और इसमें पूरे देश की आबादी को कवर करने का प्रावधान है।

वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल मिलाकर 2381.84 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी और इसका शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार की बजटीय सहायता के जरिए किया जाएगा।

प्रस्ताव में शामिल 5 योजनाएँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के रूप में व्यक्त की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

'एसएनए' योजना में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा उपलब्धता के जरिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

'एचएसएचआर' के रूप में अन्य घटकों से भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति पर करीबी नजर रखने में मदद मिलेगी।

समय पर इनमें आवश्यक सुधार करने में सहायता मिलेगी। गर्भ-निरोधकों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन से आबादी में स्थिरता लाने के अलावा शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी संभव हो पाएगा।

आवश्यकता क्यों

भारत सरकार द्वारा नई स्वास्थ्य नीति लाई गई जिसके अंतर्गत कई सकारात्मक कार्य किये गये और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त भी किया गया है लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी का परिणाम है कि कैबिनेट समिति ने परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है।

चूँकि भारत भौगोलिक और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से एक बड़ा देश है इसलिए स्वास्थ्य नीति के तहत कई लक्ष्यों को पाना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। स्वास्थ्य देखभाल की सर्वाधिक खराब स्थिति गाँवों में है जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार अब न सिर्फ शहरों बल्कि गाँवों में भी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है।

सरकार इस योजना के माध्यम से न सिर्फ केन्द्र बल्कि राज्य, जिला और पंचायती स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं का सही और तीव्र क्रियान्वयन चाहती है, जिसकी हमेशा कमी रही है। चूँकि अभी तक ये सभी इकाइयाँ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं, अतः जब इनके बीच एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न होगी तो लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा।

अभी तक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पंचायती राज संस्थानों की भूमिका बहुत कम रही है जिसे देखते हुए सरकार अब इनकी भागीदारी व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहती है, इसीलिए पंचायती राज संस्थानों को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों सहित स्वास्थ्य प्रशासन के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी भूमिका निभाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। समुदाय आधारित निगरानी योजना (सीबीएमपी) को अनिवार्य बनाया जा रहा है।

इस योजना में जिन मुद्दों को रखा गया है वे स्वास्थ्य के लिए भारत के समक्ष एक बड़ी

चुनौती हैं। महिलाओं से संबंधित मुद्दा जिस पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि जागरूकता के अभाव के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय है। परिवार नियोजन भी सरकार की प्राथमिकता में है क्योंकि जनसंख्या का तीव्र विकास देश के प्रगति की लिए सही नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार न सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य को बल्कि देश की स्थिति में भी सुधार करना चाहती है।

चुनौतियाँ

भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लागू होने के बाद भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है।

1. स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती कम सार्वजनिक खर्च है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुश्किल से 17 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि अनुमानित विकास लक्ष्य के लिए 85 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आवश्यकता है।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम खर्च के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा खराब हो गया है और कहीं कहीं तो इनका अभाव भी देखने को मिलता है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों या अविकसित क्षेत्रों में जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च सिर्फ 5% है जबकि वहीं इन क्षेत्रों में बीमारी का बोझ लगभग तीन चौथाई है।
4. एक अन्य चुनौती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी राज्यों को दिया जाना है। यह

अकसर देखा जाता है कि राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों का भी सही तरीके से वितरण नहीं हो पाता है और स्वास्थ्य की स्थिति यथावत बनी रहती है।

5. स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में निजी अस्पतालों का बढ़ता वर्चस्व सरकार के लिए एक चुनौती है क्योंकि इनका जाल न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी बढ़ता जा रहा है।
6. शहरों और ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिकताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाना भी चुनौती है।

निष्कर्ष

प्रस्ताव में सूचीबद्ध पाँच योजनाएँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्यों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ नागरिक अभियान योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

सरकार द्वारा गर्भनिरोधकों के वितरण और जागरूकता फैलाने का कार्य सराहनीय है जो आने वाले समय में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को पुष्ट करेगा। कहा जाता है कि “स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।” इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान हो साथ ही इसके सफल क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है और इसके बेहतर परिणामों के लिए आगे बढ़ रही है।

भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जहाँ समाज की दकियानूसी सोच के चलते परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसे कई बार राजनैतिक चश्मे से देखा जाता है, इसलिए कई बार जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को एक समुदाय विशेष के प्रति जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मुस्लिम देशों के आँकड़ों को सामने रख भारत सरकार एक अलग पहल शुरू करने जा रही है, जिसे मिशन परिवार विकास का नाम दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ के कई मानकों पर भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया है, जो सरकार तथा नागरिक दोनों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत स्वास्थ्य के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करेगा जिससे कि उसके सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल देश के विकास में कर सकेंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

4. भारत-बांग्लादेश के बीच गहराता संबंध

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री शेरवहसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश के आम चुनावों में लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त हुआ। शेरवहसीना की अगुआई में अवामी लीग गठबंधन ने 300 में से 288 सीटों पर जीत हासिल किया जिसमें अवामी लीग की मुख्य सहयोगी 'जातीय पार्टी' को 21 सीटें मिली। प्रमुख विपक्षी दल 'नेशनल यूनिटी फ्रंट' (एनयूएफ) और इसके सहयोगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) महज 7 सीटों पर सिमट कर रह गई।

पृष्ठभूमि

एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश 1971 में बना तथा इसको मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था। दिसंबर, 1971 में इसकी आजादी के शीघ्र बाद इस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच काफी समानताएँ हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं; जैसे- साझी ऐतिहासिक एवं सामान्य विरासत, भाषायी एवं सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य एवं कला आदि।

ये समानताएँ हमारे बहुआयामी एवं विस्तृत हो रहे संबंधों में परिलक्षित होते हैं।

राजनयिक संबंध: बांग्लादेश के आजादी के बाद से ही नियमित राजनयिक यात्राओं से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मधुर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेरवहसीना ने 1-10 अप्रैल 2017 को भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 36 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर समझौता किया गया जिसमें मुख्य रूप से असैन्य परमाणु ऊर्जा, उच्च तकनीकी, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा,

क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की तीसरी लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दी गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16-17 अक्टूबर, 2016 को ब्रिक्स-बिम्स्टेक आउटरिच सम्मेलन (BRICS-BIMSTEC- Outreach Summit) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आयी थी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 और 7 जून, 2015 के दौरान बांग्लादेश का राजकीय दौरा संपन्न किया था। इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए थे जिसमें भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार (एलबीए) की पुष्टि का लिखित आदान-प्रदान शामिल था।

रक्षा संबंध: सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंध हैं। सर्वोच्च स्तर पर बांग्लादेश के नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को भी बांग्लादेश के भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा सहयोग के लिए अपेक्षित सभी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इसकी पुष्टि की गई है। 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) का उद्देश्य सीमा पारीय गैर-कानूनी गतिविधियों एवं अपराधों पर अधिक कारगर नियंत्रण के लिए तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सीमा रक्षा बलों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना है। इसके अलावा भारत-बांग्लादेश के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए समप्रिती (SAMPRITI) सैन्य अभ्यास।

आर्थिक संबंध: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 (जुलाई से मार्च) में भारत द्वारा बांग्लादेश को किए गए निर्यात का मूल्य 4489.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा इस अवधि के दौरान बांग्लादेश से आयात का मूल्य 672.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2016-17 से पिछले पाँच वर्षों में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

साफ्टा (SAFTA), साफ्टा (SAPTA) और आप्टा (APTA) के तहत बांग्लादेश को ड्यूटी में पर्याप्त रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 25 मर्दों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों को 2011 से नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट (8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की घोषणा की है।

जून 2015 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई ऋण सहायता की घोषणा की। नई ऋण सहायता के तहत सड़क, रेलवे, विद्युत, जहाजरानी, एसईजेड (SEZ), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखरेख तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में परियोजनाएँ शामिल होंगी।

कनेक्टिविटी: भारत-बांग्लादेश सीमा पर 36 से अधिक लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) हैं जिनके माध्यम से सड़क मार्ग से माल की आवाजाही होती है। अंतर्देशीय जल व्यापार पर प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीटी) 1972 से क्रियाशील है। यह 8 विशिष्ट मार्गों पर बांग्लादेश की नदी प्रणाली के माध्यम से माल की आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच तटीय जल मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी भी स्थापित की गयी है, जिसे तटीय जहाजरानी करार पर हस्ताक्षर के माध्यम से संभव बनाया गया है। ढाका-कोलकाता, ढाका-अगरतला तथा ढाका-सिलांग-गुवाहाटी के बीच बस सेवाएँ भी शुरू की गई हैं। खुलना-कोलकाता बस सेवा भी शुरू होने के लिए तैयारी के अंतिम चरण में है। कोलकाता और ढाका के बीच एक नियमित यात्री ट्रेन सेवा 'मैत्री एक्सप्रेस' शुरू की गयी है जो अब सप्ताह में 4 दिन चलती है। दोनों देशों की राष्ट्रीय एयरलाइंस तथा कुछ निजी एयरलाइंस ढाका, चटगाँव, नई दिल्ली, कोलकाता एवं मुंबई के बीच अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

वर्तमान परिदृश्य

बांग्लादेश की जीडीपी पिछली तिमाही में 7.6% की दर से बढ़ी है जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 9 बिलियन से अधिक है। हाल ही में निर्मित पदमा बहुउद्देश्यीय पुल और अखौरा-अगरतला रेलवे लिंक बांग्लादेश तथा भारत के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। व्यापार की लागत को कम करने के लिए जलमार्गों को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होने से साइबर स्पेस जैसे सहयोग के नये क्षेत्रों का विकास हुआ है। बांग्लादेश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॉक्स बाजार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (अगरतला) के बीच तीव्र साइबर कनेक्टिविटी प्रदान की है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के

निर्माण की शुरुआत के साथ भारत बांग्लादेश के ऊर्जा कार्यक्रम में भी भागीदार बन गया है। वर्तमान समय में 3600 मेगावाट से अधिक की कुल बिजली परियोजनाएँ भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रही हैं।


बांग्लादेश में भारतीय निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। वर्ष 2017 में, बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को उदार ऋण (LOC) और अनुदान भी प्रदान किए हैं, जिसकी प्रतिबद्धता 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। एलओसी मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए दिये जाते हैं जबकि अनुदान, सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण एवं द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ लोगों से लोगों (P2P) के बीच संपर्क बढ़े हैं। बांग्लादेशी, भारत में पर्यटकों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। वीजा व्यवस्था को उदार बनाया गया है और बांग्लादेशी नागरिकों को सालाना एक मिलियन से अधिक वीजा जारी किए जाते हैं।

धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश ने उन लोगों के खिलाफ मजबूत और प्रभावी कदम उठाए हैं जो इस्लामिक स्टेट (IS) से प्रेरित हैं और आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हैं।

भारत-बांग्लादेश: सामाजिक आर्थिक विकास

आर्थिक सुधार: 1971 में अपनी आजादी के समय बांग्लादेश सबसे गरीब देशों में एक था जिसकी गिनती रवांडा, माली, बुरुंडी, सोमालिया, इथोपिया और बुर्किनाफासो जैसे देशों में की जाती थी। बांग्लादेश की आबादी उस समय 67 मिलियन थी जिसमें लगभग 71% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। बांग्लादेश 1975 से लेकर 1992 तक मिश्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा खाद्य-सहायता प्राप्तकर्ता देश था।

1992 में बांग्लादेश की गरीबी का औसत अनुपात 56.6% था जो वर्ष 2000 तक धीरे-धीरे कम होकर 48.9% तक हुआ लेकिन तब से लेकर वर्ष 2016 तक गरीबी के औसत अनुपात में नाटकीय रूप से कमी आयी है जो वर्तमान में घटकर 24.3% ही रह गयी है। 1971 से अब तक



बांग्लादेश की आबादी में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है जो अब 165 मिलियन तक पहुँच गई है, वहीं चावल का उत्पादन 3.5 गुना बढ़कर 35 मिलियन टन से अधिक हो गया है जो बांग्लादेशी जनसंख्या के लिए पर्याप्त है।

ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सिंचाई के क्षेत्र में निवेश के कारण बांग्लादेश में किसानों को अतिरिक्त उपज वाली सर्दियों के मौसम में भी बोरो धान की फसल उगाना संभव हुआ है इससे बांग्लादेश में चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आयी है।

सामाजिक सुधार: 1971 में बांग्लादेश की कुल प्रजनन दर 6.94% थी जो 2016 में कम होकर 2.1% हो गई है वहीं भारत में यह दर 2.33 फीसदी है। भारत में प्रजनन दर 1971 में 5.52 फीसदी थी, जो बांग्लादेश से अच्छी स्थिति में थी लेकिन वर्तमान समय में बांग्लादेश जनसंख्या नियंत्रण के मामले में भारत से अच्छी स्थिति में है।

एक मुस्लिम देश होने के बावजूद बांग्लादेश ने मुस्लिम रूढ़िवादिता की परिभाषा ही बदल कर

रख दी है। गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल बांग्लादेश में 1976 में जहाँ 7.7% था वहीं 2014 में बढ़कर 62.4% हो गया है। भारत की बात करें तो 1980 में गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल 35.3% था जो वर्ष 2016 में बढ़कर 53.5% ही हो पाया। यह बांग्लादेश की तुलना में धीमी प्रगति की ओर इंगित कर रहा है।

बांग्लादेश में जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के साथ-साथ शिशु और एक से पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आयी है जो 1971 में क्रमशः 147.9 और 221.4 प्रति हजार जीवित जन्मों पर थी। वर्ष 2017 में यह दर कम होकर क्रमशः 26.9 और 32.4 प्रति एक हजार पर आ गई है। इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में जीवन प्रत्याशा के क्षेत्र में भारी उछाल देखा गया, जो 47.14 वर्ष से बढ़कर 72.49 वर्ष पहुँच गया है, जबकि भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 67.56 वर्ष है। वहीं अगर वयस्क महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो यह दर समान अवधि (1971-2017) में बांग्लादेश में 10% से बढ़कर लगभग 70% तक पहुँच गया है, जबकि भारत में यह स्थिति 63% दर्ज की गयी है।

बांग्लादेश में मातृत्व मृत्यु दर में कमी के तीन आयाम हैं-

पहला- व्यापक टीकाकरण का कारण चार मानक टीकों बीसीजी (BCG), डीटीपी (DTP), पोलियो ड्रॉप एवं खसरा के लिए दिये जाने वाले टीके हैं। इन चारों टीकों का कवरेज 1985 में बांग्लादेश में जहाँ 1-2% था, वहीं वर्तमान में लगभग 100% है।

दूसरा- खुले में शौच, जिसे बांग्लादेश ने वर्ष 2015 तक आते-आते समाप्त कर दिया था। उसी समय भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की गयी थी लेकिन भारत में अब भी लगभग 40% आबादी खुले में शौच जैसी समस्या से ग्रसित है, जो भारत में हैजा, पैंचिश से लेकर हेपेटाइटिस जैसे जल जनित रोगों का प्रमुख स्रोत है।

तीसरा- मौखिक पुनर्जलीकरण घोल (ओआरएस) नमक, चीनी और साफ पानी का एक सरल इलेक्ट्रोलाइट मिश्रण है, जो बांग्लादेशी महिलाओं को बनाने के लिए सिखाया जाता है जो बच्चे दस्त और गंभीर निर्जलीकरण (Dehydration) से पीड़ित होते हैं उन्हें यह मिश्रण पिलाया जाता है। घर में तैयार इस मिश्रण को बाद में ORS पैकेट में तैयार किया गया जो नमकीन इंटराविनस ड्रिप (Saline intravenous drips) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सस्ता और प्रभावी साबित हुआ।

भारत-बांग्लादेश संबंधों की आवश्यकता

बांग्लादेश का हालिया चुनाव भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी काफी अहम था। दरअसल, इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने 'डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी फर्स्ट' के साथ-साथ स्थाई विकास का नारा दिया था। हालांकि, शेख हसीना के लिए इनकम्बेन्सी एक बड़ा फ़ैक्टर था क्योंकि देश में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और आरक्षण का मामला सत्ता पक्ष के विरोध में था।

- यहाँ एक अहम सवाल यह है कि आवामी लीग की सरकार भारत के लिए कितनी अनुकूल है? ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम वैचारिक धरातल पर आवामी लीग की विचारधारा भारत के हितों वाली रही है। दूसरे, आवामी लीग देश के आर्थिक विकास को तरजीह देती है। उसके शासन काल में बांग्लादेश का अन्य मुल्कों से व्यापार बढ़ा है। भारत आवामी लीग के इस दृष्टिकोण का पोषक रहा है।
- ज्ञातव्य है कि दस वर्षों के दौरान भारत और

बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुआयामी विस्तार हुआ है। बांग्लादेश भारत के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। ऐसे में बांग्लादेश में एक स्थाई और उदारवादी सरकार का होना जरूरी है। 1982 में बांग्लादेश में उदारीकरण के दौर के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तेजी से बदलाव आया है। यहां तक कि कई बार प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में भी, इन देशों ने आर्थिक संबंधों को बिना किसी बाधा के जारी रखा है।

- भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध तीन प्राथमिक स्तंभों, समेकित आतंकवाद विरोधी पहल, व्यापार एवं वाणिज्य तथा द्विपक्षीय विश्वास निर्माण के प्रयास के आधार पर मजबूत हो सकता है।
- बांग्लादेश का यह चुनाव इस लिहाज से भी अहम था, क्योंकि इस सियासी महासमर में भारत विरोध का कोई मुद्दा नहीं था। भारत के लिहाज से यह एक बेहद सकारात्मक बदलाव था।
- कोलकाता से बांग्लादेश होती हुई उत्तर पूर्व क्षेत्र में जाने वाली बस सेवा शुरू हो गई है, जिससे उस क्षेत्र में जाने के लिए समय व दूरी में कमी आई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में भूमि सीमा विवाद के साथ लंबे समय से अटका समुद्री सीमा विवाद भी हल हो गया है। साथ ही दोनों देशों की इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि तीस्ता जल-बंटवारे से लेकर अवैध सीमा व्यापार तक जो मतभेद हैं उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भी अन्य द्विपक्षीय उपलब्धियों में से एक है।

- बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। भारत ने बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग से लेकर उन गुटों को नियंत्रित करने में (जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हैं) बड़ी भूमिका अदा की है। इस क्षेत्र में लगभग दर्जन भर समझौते हुए हैं जिसके तहत बांग्लादेश में 10 बिलियन डॉलर का भारतीय निजी निवेश हुआ है।

चुनौतियाँ

- इस्लामिक संगठन धार्मिक कट्टरपंथी और उग्रवादी विचारों के लिए आधार बन गए हैं जो भविष्य में बांग्लादेश में शासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे।
- वर्तमान समय में चल रहा रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी भारत-बांग्लादेश संबंधों की मजबूती में दरार का काम करेगा जिसने बांग्लादेश पर आर्थिक और सुरक्षा का बोझ डाला है।
- अवैध प्रवासन का मुद्दा हो या फिर असम में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के मसौदे का प्रकाशन आदि ने भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट का काम किया है।
- नदी जल का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। हालाँकि यह उतना कठिन नहीं है जितने कि अन्य मामले।
- दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और इससे उपजे सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयाम दोनों देशों के लिए चुनौती है। वहीं बांग्लादेश, चीन पर सैन्य सामग्री के लिए अधिक निर्भर हैं।
- चीन, बांग्लादेश के साथ अपने रणनीतिक, रक्षा, आर्थिक और व्यापार सहयोग को मजबूत

कर रहा है। अन्य रक्षा सामग्री के अलावा बांग्लादेश ने चीन से अपनी पहली पनडुब्बी भी प्राप्त किया है तथा भारत के सैन्य सामग्री की खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है।

आगे की राह

बांग्लादेश, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संपर्क और एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

सकारात्मक शुरूआत करने के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश से किए गए वादों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें तीस्ता जल संधि का समाधान महत्वपूर्ण चरण होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के कारण जल बंटवारा संधि 2011 से लंबित है। भारत को दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पर जोर देना चाहिए तथा बांग्लादेश में चल रहे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देना चाहिए।

लंबे समय से फंसे रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है जो संभावित रूप से क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। रोहिंग्या के पुनर्वास में बांग्लादेश के प्रयास सफल नहीं हुए हैं अगर भारत रोहिंग्या के पुनर्वास में सहयोग करता है तो दोनों देशों के बीच सहयोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और समृद्धि में योगदान देगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

5. आईडब्ल्यूसी: व्हेलों का संरक्षक

चर्चा का कारण

जापान ने 26 दिसंबर 2018 को कहा कि वह इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (आईडब्ल्यूसी) से अलग हो रहा है और 2019 से व्हेल पकड़ने का व्यावसायिक काम फिर शुरू करेगा। इस घोषणा की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। जापान इस साल की शुरूआत में व्यावसायिक व्हेलिंग फिर शुरू करने की अनुमति देने के लिए आईडब्ल्यूसी को मना नहीं पाया था जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। जापान ने इसी साल विवादित

सालाना व्हेल शिकार अभियान के दौरान मिनक प्रजाति की 122 गर्भवती व्हेलों को मार डाला था।

उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जापान से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्हेल का शिकार शुरू करने की योजना पर एक बार फिर विचार करने का आग्रह किया था। आस्ट्रेलिया आईडब्ल्यूसी में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है और व्हेल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अहम भूमिका को स्वीकार करता है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की स्थापना 1946 में व्हेल के संरक्षण के लिए की गई थी। इसकी स्थापना व्हेल के शिकार के विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का उद्देश्य व्हेल के संरक्षण पर कार्य करना तथा व्हेलिंग उद्योग का क्रमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग एक अनुसूची के द्वारा व्हेलिंग का विनियमन करता है। यह अनुसूची कानूनी रूप से

बाध्य होती है। अनुसूची में वाणिज्यिक व्हेलिंग की सीमा निश्चित की गई है, यह क्षेत्र विशेष पर निर्भर होती है। इस अनुसूची में व्हेल अभयारण्य, छोटी व्हेल मछलियों के संरक्षण तथा शिकार के तरीकों पर प्रतिबंध इत्यादि कई प्रावधान किये गए हैं।

समझौते के उद्देश्यों में अत्यधिक शिकार से सभी व्हेल प्रजातियों का संरक्षण करना, व्हेल मछली पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमन की एक प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे व्हेल भंडारणों का उचित संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो सके और व्हेल भंडारणों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों, महान प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। आईडब्ल्यूसी द्वारा वर्ष 1986 में व्हेल की कुछ प्रजातियों के लगभग विलुप्त होने के बाद व्हेल के वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जापान वर्ष 1951 से आईडब्ल्यूसी का एक सदस्य है।

वर्तमान में, जापान, रूस और कई अन्य राष्ट्र इस अधिस्थगन का विरोध करते हैं। आईडब्ल्यूसी आदिवासी निर्वाह के लिए गैर-शून्य व्हेलिंग कोटा की अनुमति देता है और सदस्य राष्ट्र भी अपने नागरिकों को 'वैज्ञानिक परमिट' जारी कर सकते हैं। जापान ने 1986 में अपने स्वयं का परमिट कोटा जारी किया था। वर्तमान में IWC के सदस्य देशों की संख्या 89 है।

पृष्ठभूमि

जापान, नॉर्वे और आइसलैण्ड जैसे तटीय देशों व्हेल के शिकार में सदियों से लिप्त रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागरिकों को प्रोटीन की जरूरतें पूरी करने के लिए व्हेल के शिकार में तेजी आई थी। वर्तमान समय में जापान में व्हेल का मीट खाने वालों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसका एक कारण व्हेल के शिकार पर लगा प्रतिबंध भी है।

वैज्ञानिक प्रयोग तथा मांस का व्यापार करने के लिए व्हेल को मारने में जापान की भूमिका की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संरक्षण समूहों द्वारा लंबे समय से निन्दा की जा रही थी। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जापान के वैज्ञानिक अध्ययन के आड़ में व्हेल को मांस व्यापार के लिए मार रहे हैं। जापान का यह मामला 2014 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड दोनों ने आरोप लगाया कि जापानी व्हेलिंग वास्तव में 'वैज्ञानिक व्हेलिंग के उद्देश्य से' नहीं बल्कि व्यापार के उद्देश्य के

लिए किया जा रहा था। इसी संदर्भ में 31 मार्च को जापानी अंटार्कटिका व्हेलिंग कार्यक्रम को हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया था।

हालांकि जापान का तर्क है कि व्हेलिंग जापान की परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और IWC की सदस्यता त्यागने से मछुआरों को व्हेल का शिकार करने की अनुमति मिलेगी। इससे देश में व्हेल के वाणिज्यिक शिकार की संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वर्तमान स्थिति

आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कनजर्वेशन ऑफ नेचर) का अनुमान है कि वर्तमान में व्हेलों की संख्या शायद 10,000 से 25,000 के बीच है। इससे पहले इनकी सबसे बड़ी आबादी अंटार्कटिका में थी जो लगभग 2,02,000 से 3,11,000 के आसपास थी। इसके अलावा पूर्वी उत्तरी प्रशांत, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में इनकी संख्या करीब 2000 के आसपास थी। 2014 में कैलिफोर्निया के नीली व्हेल की आबादी में तेजी दर्ज की गई और यह लगभग अपने शिकार से पूर्व की आबादी तक पहुंच गई।

- हालांकि यदि विश्व स्तर पर बात करें तो वर्तमान समय में व्हेल की संख्या में तीव्र गिरावट देखी जा रही है। अब तक इनकी संख्या में लगभग 30% की कमी आई है जबकि यदि नीली व्हेल की बात करें तो इनकी संख्या में 90% तक की कमी आई है।
- इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों को जापान, नॉर्वे और आइसलैण्ड द्वारा लगातार खारिज किया गया। वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद वाणिज्यिक गतिविधियों को जारी रखते हुए, 1986 के बाद से इन तीन देशों द्वारा लगभग 37000 व्हेल को मारा गया।
- अक्टूबर 2018 में, व्हेलिंग कमीशन ने जापान के व्हेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने का विचार किया था क्योंकि जापान ने अनुसंधान की आड़ में फिर व्हेल मछलियों का शिकार तेज कर दिया है।

जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- इससे पहले भी जापान ने कई बार इस निकाय से बाहर निकलने की धमकी दी थी।
- जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के बावजूद

'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमित रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।

- जापान ने IWC से माँग की थी कि उसे व्हेल का वाणिज्यिक शिकार फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए लेकिन जापान की इस माँग को व्हेल के शिकार का विरोध करने वाले देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के विरोध के चलते स्वीकार नहीं किया गया।
- गौरतलब है कि जापान दलील थी कि व्हेल की वैश्विक आबादी इतनी हो गई है कि व्हेल के व्यावसायिक शिकार से प्रतिबंध हटाना चाहिए। लेकिन जापान की माँग को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में जापान ने आईडब्ल्यूसी से बाहर होने का निर्णय कर लिया है।

आईडब्ल्यूसी (IWC) की सदस्यता त्यागने के मायने

- उल्लेखनीय है कि व्हेल का वाणिज्यिक शिकार जापान के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित होगा। वह अंटार्कटिका या दक्षिणी गोलार्द्ध में शिकार नहीं करेगा।
- आईडब्ल्यूसी (IWC) की सदस्यता छोड़ने का मतलब है कि जापान आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो व्हेल के वाणिज्यिक शिकार पर आईडब्ल्यूसी (IWC) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का खुले तौर पर विरोध करते हैं।
- आईडब्ल्यूसी (IWC) की सदस्यता छोड़ने का तात्पर्य यह है कि आईडब्ल्यूसी (IWC) द्वारा वर्तमान में संरक्षित मिनक और अन्य व्हेल का जापान के तटीय क्षेत्रों में फिर से शिकार किया जा सकेगा।
- लेकिन जापान अंटार्कटिका में अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किये जाने वाले शिकार को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसे यह अनुसंधान जारी रखने की अनुमति अंटार्कटिक संधि के तहत आईडब्ल्यूसी (IWC) का सदस्य होने के कारण दी गई है।

व्हेल के बारे में

- समुद्र में रहने वाले प्राणियों में व्हेल एक विशाल स्तनपायी प्राणी है।
- इनकी प्रजातियों में स्पर्म व्हेल, किलर व्हेल, पायलट व्हेल, बेलुगा व्हेल, ब्लू व्हेल आदि शामिल हैं।

- इनकी लंबाई 115 फुट और वजन 150 से 170 टन तक होता है।
- समुद्र में 5 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई व्हेल।
- स्तनधारी प्राणियों की तरह व्हेल हवा में सांस लेती है।
- इनका खून गर्म होता है और यह बच्चों को दूध पिलाती हैं।
- व्हेल की चमड़ी मोटी होती है, जिसे ब्लबर कहा जाता है। यहाँ यह ऊर्जा को इकट्ठा करती है।
- इसकी एक रीढ़ होती है, कुछ हड्डियाँ और चार चेम्बर वाला हृदय होता है। इसकी गर्दन बहुत लचीली होती है, जो तैरते वक्त गोल घूम सकती है।
- यह ब्लोहोल्स से सांस लेती है। बैलीन व्हेल के दो ब्लोहोल्स होते हैं जबकि दांत वाली व्हेल को एक ब्लोहोल होता है। यह उनके सिर के ऊपरी हिस्से में होता है।
- जब ब्लोहोल्स से व्हेल सांस लेती है तो उसके साथ काफी मात्रा में पानी भी उसके फेफड़ों में जमा हो जाता है जिसे बाद में फव्वारे के रूप में वापस बाहर कर देती है।
- व्हेल की पूंछ के अंत में दो सिरों उसे तैरते समय मुड़ने में सहायक होते हैं।
- व्हेल कभी भी लंबे समय तक नहीं सोती। इसके शरीर का आकार इस तरह गोल होता है कि यदि यह लंबे समय तक सो जाए तो डूबकर मर जाती है।
- व्हेल अपनी दूसरे साथियों से संपर्क करते समय एक मधुर ध्वनि निकालती हैं, जिसे व्हेल सांग कहा जाता है। यह ध्वनि बहुत तेज होती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का व्हेलिंग विनियमन

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग व्हेलिंग को तीन अलग-अलग आधारों पर विभाजित करता है।

1. स्थानीय समुदायों जैसे कि आदिवासी समूहों की जरूरतों के आधार पर व्हेलिंग को रखा गया है। इसे आईडब्ल्यूसी (IWC) द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो हर छह वर्ष में इसकी सीमा को परिभाषित करता है।
2. दूसरे प्रकार की व्हेलिंग को व्यावसायिक व्हेलिंग की श्रेणी में रखा गया है। इसे भी आईडब्ल्यूसी (IWC) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान 1986 से विवादित बने हुए हैं। इसमें कई छोटे-छोटे देशों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये देश अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आईडब्ल्यूसी (IWC) से साझा करते हैं। हालांकि इन देशों को आईडब्ल्यूसी (IWC) के विनियमन से छूट प्रदान की गई है।
3. तीसरी श्रेणी में विशेष परमिट (या वैज्ञानिक)

व्हेलिंग है। व्हेलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और आईडब्ल्यूसी (IWC) के बीच विनियमन को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत संबद्ध देशों से वैज्ञानिक जाँच के लिए आईडब्ल्यूसी (IWC) को विशेष परमिट अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है लेकिन इन देशों द्वारा व्यक्तिगत परमिट भी जारी किये जाते हैं तथा इस पर आईडब्ल्यूसी (IWC) की भूमिका केवल सलाहकार की होती है।

व्हेल का व्यावसायिकरण

वर्ष 2003 में जापान ने टोक्यो में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिटासियन रिसर्च (ICR) को दक्षिण महासागर में 440 मिन व्हेल, उत्तर प्रशांत में 150 व्हेल, 50 ब्राइट्स व्हेल और 50 सेई व्हेल को पकड़ने तथा उस पर रिसर्च करने के लिए पुरस्कृत किया था।

आइसलैण्ड ने 14 वर्षों के बाद 2003 में दो वर्षों के लिए 500 व्हेल का शिकार करने के लिए एक वैज्ञानिक व्हेलिंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम के तहत 200 फिन, 100 सेई और 200 मिन व्हेल को शामिल करने की बात की गई थी। जापान तथा कुछ अन्य देशों ने भी इस आधार पर आईडब्ल्यूसी (IWC) से व्हेलिंग के लिए इजाजत की माँग की थी, जिसे आईडब्ल्यूसी (IWC) ने खारिज कर दिया था क्योंकि इन देशों का उद्देश्य वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि वाणिज्यिक व्यापार था।

व्हेलों की स्थिति पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हेल को मारने के लिए उनकी उम्र, प्रजनन की स्थिति, आहार और पर्यावरणीय प्रभावों का निर्धारण करना आवश्यक है क्योंकि इससे व्हेलों की स्थिति का सही तरीके से पता लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जाकर व्हेलों का शिकार करना अवैध और अव्यावहारिक है।

वैज्ञानिक व्हेलिंग को बड़े पैमाने पर पशु प्रयोग का मामला मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए बड़े पैमाने पर व्हेलों को मार दिया जाता है। उनका कहना है कि कुछ मामलों में व्हेलिंग की इजाजत मिलनी चाहिए, हालाँकि यह भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। न्यूजीलैण्ड सहित कई देशों का मानना है कि 21वीं सदी में वैज्ञानिक व्हेलिंग की मौजूदा प्रथा एक स्पष्ट विसंगति की तरह है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

चुनौतियाँ

1. वर्तमान समय में पूरे विश्व में न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदले हैं बल्कि आर्थिक व्यवहार भी परिवर्तित हुआ है। एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था सागरीय संसाधनों पर ही टिकी है इसलिए उन पर मत्स्य संबंधी प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है।
2. वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास ने व्हेल मछलियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों को एक तरफ कम किया है, तो दूसरी तरफ बढ़ा भी दिया है। नई-नई तकनीकी के कारण इन मछलियों का शिकार करना आसान हो गया। साथ ही इसके माध्यम से इनका अवैध शिकार भी बढ़ गया है।
3. जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी चुनौती है। समुद्र के अम्लीकरण, बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना, समुद्र के तापमान में बदलाव तथा खाद्य श्रृंखला में आने वाला बदलाव आदि इन जलीय जीवों के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।
4. पानी के जहाजों में नये-नये उपकरण जैसे कि फिशरिज गियर, काँटे वाले पहिये का इस्तेमाल भी व्हेल के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस उपकरण के कारण न सिर्फ मछलियों को बल्कि मानवों को भी भारी क्षति हुई है क्योंकि इस तरह जाल और उपकरणों में फँसकर लाखों व्यक्तियों की भी मृत्यु हो जाती है।
5. समुद्री व्यापार भी व्हेल मछलियों के लिए घातक साबित हो रहा है क्योंकि कई बार व्यापार के समय तेल का रिसाव समुद्र की सतह पर हो जाता है जो जलीय पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है और व्हेल मछलियाँ मारी जाती हैं।

आगे की राह

- आईडब्ल्यूसी (IWC) के द्वारा व्हेलिंग पर लगाया जा रहा प्रतिबंध एक अच्छा कदम है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सागरीय क्षेत्रों से जुड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित न हो अर्थात् पक्षपातपूर्ण नीतियों को त्यागना होगा।
- जापान को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि व्हेलिंग का इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तो हो लेकिन व्यावसायिक

गतिविधियों में इसका प्रयोग न किया जाय। यह एक संकटग्रस्त जीव है और इसका संरक्षण अतिआवश्यक है।

- विश्व के सभी देशों को मिलकर आईडब्ल्यूसी (IWC) जैसी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना होगा, जिससे न सिर्फ समुद्री पर्यावरण बल्कि पूरे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके।
- समुद्र के रास्ते होने वाली व्यावसायिक

गतिविधियों का सही तरीके से निरीक्षण हो ताकि कोई व्यवसाय के आड़ में समुद्री जीवों की हत्या न कर सके।

- जापान का आईडब्ल्यूसी (IWC) से अलग होना एक प्रकार की मनमानी को ही दर्शाता है, इसलिए इस तरह के कदम की विश्वभर में निंदा होनी चाहिए जिससे कि कोई भी देश पर्यावरणीय प्रभाव का अपने तरीके से आकलन न कर सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जुड़ाव के लिए एक नई पहल

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से स्टील से निर्मित पुल है, जिसकी लम्बाई 4.94 किलोमीटर है।

विदित हो कि हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पुल को मैनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग तथा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाया है। इस पुल में सबसे ऊपर तीन लेन वाली एक सड़क है, जबकि उसके ठीक नीचे दोहरी रेलवे लाइन है। यह पुल ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊँचाई पर है।

पृष्ठभूमि

इस परियोजना का शिलान्यास 22 जनवरी, 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा किया गया था। हालांकि इस पर काम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 21 अप्रैल 2002 को हुई। इस परियोजना में हुई देरी के कारण इसकी लागत 85 फीसदी तक बढ़ गई। इस ब्रिज के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया।

इस पुल को स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुत्र भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जिस पर कोई भी रेल या किसी तरह का पुल नहीं बना हुआ था। हालांकि गंधीरता को देखते हुए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ने ढोला सादिया यानी भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन किया, जिससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहली

बार स्थायी तौर पर सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। यह लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है।

गौरतलब है कि अब तक अरुणाचल प्रदेश के लिये रेल और सड़क परिवहन असम के तीन पुलों के माध्यम से होता रहा है जिसमें बोंगाई जिले में जोगिगोपा, गुवाहाटी के पास सराईघाट और शोणितपुर नागाँव के बीच कोलिया भोमोरा सेतु है। वही दूसरा मार्ग नौका मार्ग था जिसे सिर्फ दिन में ही चलाया जा सकता था। बारिश के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव तेज होने के कारण नाव का रास्ता भी बंद हो जाता था। लेकिन अब बोगीबील पुल के बन जाने से रास्ता बंद होने की समस्या नहीं होगी।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र का परिचय

ब्रिटिश शासन के सीमांत हिस्से के रूप में, देश की रक्षा स्थापत्य में अपनी स्थिति के लाभ के साथ यह क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ गया। 1835 में ब्रिटिश शासन के दौरान असम में चाय बागान स्थापित किए गए थे। इसके बाद, औद्योगिकीकरण 1850 के दशक के आरंभ में हुआ और 1880 के दशक में डिब्रूगढ़ से चटगांव तक रेलवे कनेक्टिविटी परिचालित हो गई। विकास की शृंखला यही समाप्त नहीं हुई; 1901 में डिगबोई में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात देश की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से यह क्षेत्र भू-आबद्ध हो गया और भारत के राज्यों में इसकी स्थिति गौण हो गई। इसके परिणामस्वरूप स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई और यह क्षेत्र मुख्य भूमि से अलग हो गया। उच्च परिवहन लागत और बाजारों से इनकी सुदूर स्थिति के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास दर कम हो गई। यद्यपि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत हैं और समृद्ध

सांस्कृतिक विरासत, कुशल श्रम की उपलब्धता और जीवंत पड़ोसियों के बावजूद आर्थिक अलगाव और उच्च परिवहन लागत ने इस क्षेत्र में धीमी आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है।

भारत सरकार ने वर्ष 1991 में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (एलईपी) शुरू की, जिसे दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के संगठन 'आसियान' के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में 2014 में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (एईपी) के रूप में दोबारा नामित किया गया। साझेदारी की इस पहल ने भारत के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक साझा बाजार प्रदान किया है। पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा की सामरिक स्थिति को देखते हुए, इस क्षेत्र को दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों के आधार के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार, 'एक्ट ईस्ट' जैसी नीति का शुरुआत को उत्प्रेरक माना जा सकता है और पूर्वोत्तर भारत के विकास को बहुप्रतीक्षित गति दे सकता है और मुख्य भूमि से इसके अलगाव को भी कम कर सकती है। इसके लिए पूर्वोत्तर का बुनियादी विकास जरूरी है। इस दिशा में सरकार द्वारा एयरपोर्ट, सड़क, रेल परियोजनाएँ पर कार्य सहायनीय है जिसकी एक कड़ी हाल ही में बोगीबील पुल के रूप में देखा जा सकता है।

बोगीबील सड़क-रेल पुल का महत्व

यह पुल न सिर्फ पूर्वोत्तर के लिये जीवन रेखा बनेगा बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। बोगीबील पुल के महत्व को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- यह पुल पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सेना और हथियारों की आवाजाही को बढ़ाकर राष्ट्रीय

सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह इस तरह से बनाया गया है कि आपात स्थिति में इस पर लड़ाकू जेट विमान भी उतारा जा सकता है। इस तकनीक के प्रयोग के कारण एयरफोर्स को तीन लैंडिंग पट्टियाँ उपलब्ध हो पाएंगी।

- यह पुल इतना मजबूत है कि आपात स्थिति में इससे सेना के बड़े टैंक भी गुजर सकेंगे।
- यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल-सड़क पुल है। बोगीबील परियोजना में ब्रह्मपुत्र नदी के लगभग 10.3 किलोमीटर का क्षेत्र आ रहा था लेकिन रेलवे पुल बनाने के लिए यहाँ तकनीक लगाकर पहले नदी की चौड़ाई कम की गई और फिर इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल/रोड ब्रिज बनाया गया है।
- यह अरुणाचल और असम के बीच के सभी हिस्सों के लिये मौसमी कनेक्टिविटी प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण तटों के बीच सड़क और रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- इस पुल के निर्माण से पूर्व डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए व्यक्ति को गुवाहाटी होकर जाना पड़ता था और उसे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती थी। परंतु इस पुल के निर्माण से यह यात्रा अब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी।
- बोगीबील ब्रिज का जीवनकाल 120 साल बताया गया है।

गौरतलब है कि बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है। इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 रिक्टर स्केल तक के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी विकास और सरकारी प्रयास

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, जो दशकों तक बुनियादी ढाँचे की कमी और सीमित कनेक्टिविटी की वजह से सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रहा है। भारत के 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में संदर्भित, इन राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये किए गए सरकारी पहलों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है।

एयरपोर्ट परियोजनाएँ

उत्तर-पूर्वी परिषद, (The North - Eastern Council

- NEC) पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये एक नोडल एजेंसी है। एनईसी, के प्रमुख सदस्यों में आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। एनईसी 12 परिचालन हवाई अड्डों में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए वित्त पोषण कर रही है। हाल ही में सिक्किम में 24 सितंबर 2018 को पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जो गंगटोक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देश के पाँच सबसे ऊँचे हवाई अड्डों में से एक है, जिसके निर्माण में 650 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह 6,00,000 से ज्यादा निवासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो पश्चिम बंगाल के बागडोग्रा में निकटतम हवाई अड्डे पर पूरी तरह निर्भर थे।

दरअसल तेजू हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होने वाला है और वह चालू वित्त वर्ष के भीतर शुरू हो जायेगा। इससे लोअर दिबांग घाटी, अंजौ, नमसई और दिबांग घाटी जैसे पड़ोसी जिलों के लिए कनेक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी तरफ उमरोई (शिलाँग) हवाई अड्डे के एनईसी द्वारा रनवे एक्सटेंशन का काम शुरू किया जाएगा, ताकि बड़े विमानों को आसानी से उतारा जा सके। उपरोक्त परियोजनाएँ सरकार की वायु कनेक्टिविटी के प्रतिबद्धता को व्यक्त करती हैं।

सड़क परियोजनाएँ

- एनईसी (NEC) ने पूर्वोत्तर राज्यों में 10,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें अंतरराज्यीय और आर्थिक महत्व के सड़कों को शामिल किया जायेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत दोइमुख-हरमुती, तुरा-मणकाचर और वोखा-मेरपनी-गोलघाट को शामिल किया गया है, जिसकी लागत 213.97 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इस कार्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी विकास लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को दी गई है।

गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में कम सड़क घनत्व होने के कारण केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बना रहा है।

इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गतिशील सड़क विकास कार्यक्रम को

चला रहा है, जिससे 2,319 किलोमीटर सड़कों का विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल फ्रंटियर राजमार्ग और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के निर्माण की योजना भी प्रस्तावित है।

नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम

- दिसंबर 2017 में, भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 1600.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम (एनईआईडीएस) को मंजूरी दी।
- इस योजना के तहत निधियों को कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर आठ पूर्वोत्तर राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा, जैसे- क्षेत्र, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि।
- यह योजना, अन्य बातों के साथ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों को कवर करता है।

रेल परियोजनाएँ

- पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 20 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से सरकार एक रेलवे लिंक बनाने की योजना पर कार्य कर रही है।
- इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि बैरबी और साइरंग को जोड़ने वाली एक विस्तृत रेलवे लाइन का निर्माण जोर शोर पर है, जो 2020 तक उत्तर-पूर्वी राज्यों के पूँजीगत शहरों को जोड़ सकेगा। यह उत्तर-पूर्व सीमावर्ती रेलवे क्षेत्र का एक हिस्सा है।
- इस परियोजना में 23 सुरंगों का निर्माण भी शामिल है, साथ ही 36 प्रमुख पुल और 147 छोटे पुल भी बनाए जायेंगे।
- इस रेलवे परियोजना में तीन स्टेशन स्थापित किये जायेंगे, होतोकी, कावनपूई और मुलुखंग, जो कि एस्केलेटर, फुट ओवर-ब्रिज आदि सुविधाओं से लैस होगा।
- असम में कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक एक्सप्रेस हाईवे परियोजना शुरू की है, जिसकी अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपये है।

जलमार्ग परियोजनाएँ

- पूर्वोत्तर राज्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 19 जलमार्ग योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

संचार अवसंरचना

- वर्तमान में पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन तथा कॉमर्स (three - C) पर अधिक बल दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र

के लिए सरकार ने हाल ही में 5,300 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक दूरसंचार योजना लागू किया है। त्रिपुरा, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गेटवे से जुड़ने वाला देश का तीसरा राज्य है। सरकार ने इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 'भारत नेट' रणनीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4240 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी द्वारा ब्रॉडबैंड से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

- सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिये 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा भी की है।
- भारत सरकार की योजना सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में 2817 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित करने की भी है।
- सरकार द्वारा इन कार्यों से जहाँ दूरसंचार संपर्क में सुधार होगा वहीं क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी।

उत्तर-पूर्व विकास में चुनौतियाँ

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) की धीमी प्रगति के पीछे निम्नलिखित कारण रहे हैं-

- **भौगोलिक कारक:** एनईआर में लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा है, जो इसके लगभग 30 प्रतिशत आबादी को समायोजित करता है। शेष 30 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत आबादी रहती है। इस प्रकार भौगोलिक जटिलता के वजह से शेष भारत के साथ कनेक्टिविटी की समस्या प्रमुख चुनौती बना हुआ है।
- **अवसर-चरणात्मक कारक:** पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बुनियादी

ढाँचागत सुविधाएँ, जैसे- रोडवेज, जलमार्ग, ऊर्जा साथ ही सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि की खराब स्थिति।

- **कृषि:** कृषि यहाँ की जनजातीय आबादी का प्रमुख निर्वाह क्षेत्र होने के बावजूद विकास के क्षेत्र में काफी पीछे है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिस वजह से कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, पानी, वनस्पति और हाइड्रोकार्बन के भंडार होने के बावजूद, एनईआर आज भी अविकसित है, क्योंकि संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इससे संसाधनों का इस्तेमाल विकासपरक कार्यों में नहीं हो पा रहा है।
- **परिवहन और संचार:** विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों से इस क्षेत्र में सड़क का विकास बहुत धीमा है।
- आज एनईआर की एक बड़ी चुनौती वैश्वीकरण भी है। जहाँ भारत की 'लुक इस्ट एक्ट' नीति न सिर्फ पूर्व-उन्मुख को आसान किया है बल्कि घरेलू उद्यमियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा दिया है। चूँकि एमएनसीज और विदेशी उद्यमियों से व्यापार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है क्योंकि उनके पास उच्च तकनीक व कच्चे माल की उपलब्धता तथा कुशल प्रबंधन होता है।
- इस क्षेत्र में समय-समय पर उत्पन्न होने वाला सामाजिक-राजनीतिक विवाद भी चिंता का एक प्रमुख विषय है।

आगे की राह

पिछले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है हालाँकि इस दौरान पूर्वोत्तर का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस तरह से शेष भारत का हुआ है। लेकिन अब समय पूर्वोत्तर पर ध्यान देने का है। सड़क, रेल, और अंतर्देशीय जलमार्ग तथा वायु संपर्क और संचार नेटवर्क में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा, सरकार को इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, उन्नयन और संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएँ लागू करने की भी जरूरत है। साथ ही मुख्यधारा से कटे रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों का शेष भारत से संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हें भारत के अन्य भागों से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत के लोगों को भी पहल करने की जरूरत है ताकि पूर्वोत्तर के लोग अपने को शेष भारत से अलग न समझे। सरकार को चाहिए कि वह पूर्वोत्तर संस्कृति व सामाजिकता का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करे। इन तमाम कार्यों को यदि सरकार सही रूप में अपने मुकाम तक पहुँचा पाई तो इससे पूर्वोत्तर की तस्वीर तो बदलेगी ही साथ ही भारत की एकता-अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

7. सीबीडी को भारत का छठवाँ राष्ट्रीय रिपोर्ट

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत ने 29 दिसम्बर 2018 को जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के लिए अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट (एनआर-6) सौंप दी है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) की 13वीं राष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन सत्र में सीबीडी सचिवालय को ऑनलाइन यह रिपोर्ट भेज दी है।

सीबीडी का परिचय

जैव-विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। अर्थात् किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। आज जो जैव-विविधता हम देखते हैं वह विकास के इतिहास के करीब 3.5 बिलियन से अधिक वर्षों का परिणाम है और उसका यह स्वरूप प्राकृतिक और अधिकांशतः मानवीय प्रभावों के कारण बना है। इस प्रकार

जैव-विविधता जीवन का एक ताना-बाना है, जिसका हम अभिन्न हिस्सा हैं और जिस पर हम पूरी तरह निर्भर रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की स्थापना विभिन्न सरकारों द्वारा 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसे उस समय अपनाया गया था जब वैश्विक नेताओं ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हुए वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए 'सतत विकास' की एक

व्यापक रणनीति पर सहमति व्यक्त की थी। 193 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीबीडी ने वैश्विक जैव-विविधता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी जो सीधे-सीधे अरबों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है और वैश्विक आर्थिक विकास की नींव रखता है।

ज्ञातव्य हो कि जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सम्मेलन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:

- जैव-विविधता का संरक्षण
- इसके घटकों का सतत उपयोग और
- आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा

सीबीडी कैसे कार्य करता है?

- सीबीडी के अनुच्छेद 6 द्वारा सभी पक्षकारों को जैव-विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ, योजनाएँ अथवा कार्यक्रम बनाने का अधिदेश दिया गया। साथ ही जैव-विविधता के संरक्षण तथा सतत प्रयोग को प्रासंगिक क्षेत्रीय एवं अन्तर क्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ एकीकृत करने का अधिदेश दिया गया है।
- पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी) प्रत्येक 2 वर्षों में नए मुद्दों की पहचान करने, लक्ष्यों को हासिल करने और जैव-विविधता के नुकसान की पहचान करने के लिए होता है।
- बैठक में सीबीडी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सीओपी निर्णयों के आधार पर रणनीति और कार्य योजना के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की रिपोर्ट सौंपना पड़ता है।

क्या है रिपोर्ट?

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य जैव-विविधता बोर्डों की 13वीं राष्ट्रीय बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी। इस बैठक का आयोजन राष्ट्रीय जैव-विविधता परिषद ने किया। विदित हो कि राष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रस्तुति सीबीडी सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पक्षकारों के लिए एक अनिवार्य बाध्यता है। एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं छोड़ा है और इससे पहले सीबीडी को समय-समय पर पाँच राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। छठी रिपोर्ट में 20 वैश्विक एआईसीएचआई (AICHI) जैव-विविधता लक्ष्यों के अनुरूप संधि प्रक्रिया के तहत विकसित 12

राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में प्रगति की ताजा जानकारी दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की राह पर अग्रसर है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

भारत विश्व के सर्वाधिक जैव-विविधता वाले पाँच देशों में एशिया का पहला देश है, जिसने सीबीडी सचिवालय को छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट से सम्बन्धित मुख्य बातें निम्न हैं-

- इस रिपोर्ट के अनुसार, 1968 में शेरों की संख्या 177 थी जो 2015 में बढ़कर 520 हो गयी है, जबकि हाथियों की संख्या 1968 में 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गयी है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में एक सींग वाला गैंडा विलुप्त होने की कगार पर था। अब इसकी जनसंख्या बढ़कर 2400 हो गयी है।
- भारत में कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि के लिये संपोषणीय प्रबंधन अपनाया गया है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किये बिना सभी को भोजन एवं पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त हो सके।
- 15वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2017 के मुताबिक भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- भारत ने 2015 में पहले Internationally recognized certificate of Compliance (IRCC) का प्रकाशन किया था। तब से IRCC के 75% भाग का प्रकाशन हो चुका है। इस प्रकार पहुँच व लाभ की हिस्सेदारी (ABS) पर नगोया प्रोटोकॉल के लक्ष्य को भारत प्राप्त कर रहा है।
- भारत ने दो राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्य (NBT) प्राप्त कर लिये और आठ अन्य NBT लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है। साथ ही शेष दो NBT लक्ष्य को भी भारत 2020 के निर्धारित समय तक पूरा करने का प्रयास कर रहा है।
- विदित हो कि पूरे विश्व में कुल दर्ज किये गए प्रजातियों की 0.3% से ऊपर की संख्या क्रांतिक रूप से संकटापन्न की श्रेणी में आ चुकी है जबकि भारत में सिर्फ 0.08% प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी स्थिति दर्ज की गयी है।

- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक भाग जैव-विविधता संरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत आइसी लक्ष्य 11 के 17% स्थलीय अवयव को प्राप्त कर चुका है।

भारत के 12 जैव-विविधता लक्ष्य

- 2020 तक देश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को जैव विविधता के मूल्य के बारे में परिचित करवाना तथा इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- 2020 तक जैव-विविधता के मूल्य को राष्ट्रीय तथा राज्य नियोजन प्रक्रिया, विकास कार्यक्रम व निर्धनता उन्मूलन योजना में शामिल करना।
- प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण व क्षय पर रोक लगाने के लिए योजना का निर्माण करना।
- 2020 तक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन करना।
- 2020 तक कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन के सतत प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- देश में विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों, तटीय व समुद्री जोन इत्यादि का संरक्षण साथ ही 2020 तक इसके तहत देश के कुल 20% क्षेत्रफल को कवर करना।
- जेनेटिक क्षरण को रोकने तथा जेनेटिक विविधता को बनाये रखने के लिए 2020 तक योजना का निर्माण करना।
- 2020 आने तक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना।
- 2015 तक नागोया प्रोटोकॉल के तहत जेनेटिक संसाधनों तक पहुँच तथा इसका समान लाभ सुनिश्चित करना।
- 2020 तक राष्ट्रीय जैव-विविधता पर प्रभावशाली राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार करना।
- 2020 तक जैव-विविधता से संबंधित सामुदायिक पारंपरिक ज्ञान के द्वारा राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करना।
- जैव-विविधता के लिए सामरिक योजना के तहत 2011-2020 के लिए वित्तीय, मानवीय तथा तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाना।

जैव-विविधता संरक्षण को लेकर पहल

जैव-विविधता मानव समुदाय के बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चूँकि खाद्य शृंखला में इनका बड़ा महत्व है लेकिन वर्तमान समय में

हो रहे विकास ने कई जीवों का पर्यावास नष्ट किया है, जिसके चलते कई प्रजातियाँ विलुप्त व संकटापन्न होती जा रही हैं। ऐसे में कई समस्याएँ बढ़ी हैं। इन समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए वैश्विक स्तर पर कई पहल किए जा रहे हैं।

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल

जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वावधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी, 2000 को अंगीकार किया गया, जो 11 सितंबर, 2003 को प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों (LMO) का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव-विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नागोया प्रोटोकॉल

जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की ही अगली कड़ी नागोया प्रोटोकॉल है। उल्लेखनीय है कि नागोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर, 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा है, जिससे यह जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान दे सके। इन वार्ताओं में भारत ने उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक योगदान किया है। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 की अवधि को जैव-विविधता के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाने की घोषणा की। अक्टूबर 2010 में नागोया में सीओपी 10 के दौरान सीबीडी हस्ताक्षर करने वालों ने एक सिफारिश का पालन किया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत ने इस प्रोटोकॉल पर 11 मई, 2011 को हस्ताक्षर किए और 9 अक्टूबर, 2012 को इसकी अभिपुष्टि की। भारत के लिए यह प्रोटोकॉल अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने पारंपरिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिससे वह अपने संसाधनों का पेटेंट भी नहीं करा पा रहा था। हल्दी और नीम इसका एक बेहतर उदाहरण है।

आइची जैव-विविधता लक्ष्य

2010 में नागोया, जापान के आइची प्रांत में आयोजित सीबीडी के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के अद्यतन रणनीतिक योजना बनायी

गयी, जिसे आइची लक्ष्य नाम दिया गया। साथ ही लघु-अवधि रणनीतिक योजना-2020 के तहत 2011-2020 के लिये जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गयी। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिये जैव-विविधता के लिये कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढाँचा उपलब्ध कराया गया है। यह दीर्घकालीन योजना 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आइची लक्ष्य (Aichi Targets) कहते हैं। इन लक्ष्यों में वैश्विक स्तर पर उपलब्धि की आकांक्षा और राष्ट्रीय या क्षेत्रीय लक्ष्यों की स्थापना के लिए एक लचीली रूपरेखा शामिल की गयी है। आइची लक्ष्य में मुख्य रूप से पाँच रणनीतिक लक्ष्य हैं: (1) जैव-विविधता नुकसान के कारणों को समझना, (2) जैव-विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना व सतत उपयोग को बढ़ावा देना, (3) पारितंत्र, प्रजातियों एवं आनुवांशिक विविधता की सुरक्षा कर जैव-विविधता स्थिति में सुधार लाना, (4) जैव-विविधता एवं पारितंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्द्धन तथा (5) साझीदारी नियोजन ज्ञान प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के द्वारा क्रियान्वयन में वृद्धि।

भारत में जैव-विविधता संरक्षण

- भारत जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) 1992 का हिस्सा है, जिसने राज्यों को उनके जैविक संसाधनों के उपयोग और संप्रभुता के अधिकार को मान्यता दी है।
- सीबीडी के उद्देश्यों को मजबूत बनाने तथा उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, जिसे जैव-विविधता कानून 2002 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण तथा उससे जुड़े ज्ञान का सही उपयोग करना है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- यह कानून वनस्पतियों एवं पशुवर्ग के संरक्षण के मौजूदा कानूनों भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करने में कारगर है।
- जैव-विविधता अधिनियम 2002 में प्रमुख रूप से आनुवांशिक संसाधनों तथा उससे जुड़े ज्ञान एवं जानकारी का देश एवं उसके नागरिकों के लिए उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम से पहले किसी भी विधान में इसका प्रावधान नहीं था।

भारत की जैव-विविधता

हाल ही में जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी बताई गई, जहाँ विश्व भर में जैव विविधता पर आवास विखंडन एवं विनाश, आक्रामक विदेशी प्रजातियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अति उपयोग के कारण दबाव बढ़ रहा है, वहीं भारत उन चुनिन्दा देशों में शामिल है जहाँ वन आच्छादन बढ़ रहा है और जंगलों में वन्य जीव भी बहुतायत संख्या में हैं। इस बात की पुष्टि निम्न बिन्दुओं से होती है-

- जैव-विविधता की दृष्टि से भारत एक समृद्ध राष्ट्र है।
- विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत को शामिल किया जाता है।
- जैव-विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में भारत में ज्यादा हॉट स्पॉट (Hot Spot) क्षेत्र हैं।
- इनमें मुख्य हैं- इण्डो-बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, सुण्डालैंड क्षेत्र तथा निकोबार द्वीप आदि।
- वैश्विक स्तर पर हॉट स्पॉट्स जैव-विविधता में भारत 16.86 प्रतिशत स्थान रखता है।
- भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवों की लगभग 81,000 प्रजातियाँ थीं, वहीं वर्तमान में आईयूसीएन (IUCN) के अनुसार, अब भारत में लगभग 91,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- विदित हो कि स्तनधारी, पक्षियों और सरीसृपों की संख्या के मामले में भारत अग्रणी राष्ट्र है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR) ने 2018 के मध्य तक पशुधन और मुर्गी की 169 देशी नस्लों को पंजीकृत किया है।
- इसके अलावा भारत में पादपों की संख्या करीब 47,500 पाई जाती है। पुष्प पादपों की प्रजातियों के मामले में देश समृद्ध है।
- लगभग 8000 औषधीय पौधों का उपयोग स्वास्थ्य और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके 24.14 प्रतिशत भाग पर वन पाये जाते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाये जाते हैं।

- भारत का समुद्री क्षेत्र 7,516 किमी तक फैला है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में मैंग्रोव, एश्चुअरी तथा प्रवाल भित्ति जैसी प्रजातियाँ अपनी अनुकूलता के कारण प्रचुर संख्या में हैं। इनके साथ समुद्री घास की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- भारत में दस ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहाँ स्थल, मिट्टी और जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसमें हिमालय, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, अर्द्ध शुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा द्वीप समूह शामिल हैं।
- भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं।
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य पौधों और जन्तुओं की विविधता व अखण्डता को संरक्षित करना तथा प्राकृतिक स्रोतों का सतत प्रयोग, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामों को समाहित करना है।
- भारत में राष्ट्रीय उद्यान 100, वन्य प्राणी अभयारण्य 515, टाइगर रिजर्व 47 तथा पक्षी उद्यान 21 हैं।
- भारत में लाखों लोगों की आजीविका जैव-विविधता पर निर्भर करती है और जैव-विविधता का संरक्षण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी), 2006 में इस बात पर बल दिया गया है, जो जैव-विविधता के महत्व को प्रकट करता है।

जैव-विविधता के समक्ष चुनौतियाँ

वर्तमान में जैव-विविधता के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं, जैसे कि- आवासीय विखंडन, संसाधनों का अधिक दोहन, कम होती आनुवंशिक

विविधता, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, वन संसाधन में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण तथा प्रदूषण का प्रभाव आदि। इन चुनौतियों के मद्देनजर जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिला है।

आगे की राह

समाज और पर्यावरण की दृष्टि से जैव-विविधता का संरक्षण जरूरी है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी पहल करने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ सुझाव को अमल में लाया जा सकता है, जैसे-

- भारत में पिछले कुछ दशकों से औद्योगीकरण और शहरीकरण का निरंतर विस्तार हुआ है। फलस्वरूप जंगलों में पेड़ों की संख्या कम हुई। कृषि भूमि को परिवर्तित कर ग्रामीण तथा शहरी आवास बनाए जा रहे हैं। सड़कों, पुलों तथा अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है जिससे जीव-जन्तुओं के आवास के आस-पास मानवीय गतिविधियों का दखल बढ़ रहा है। इन गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
- जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ बंद हो, पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौधों को प्राकृतिक वातावरण में रहने दिया जाए। यदि संभव न हो तो जीव-जंतुओं के कृत्रिम आवास (चिड़ियाघर) में उनका संरक्षण किया जाए।
- असुरक्षित प्रजातियों को विशेष संरक्षण देने की जरूरत है। बायोस्फियर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों का सीमांकन किया जाए।

- असुरक्षित जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- किसी विशेष प्रजाति को ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाय।
- पशु-पक्षियों के शिकार की घटनाओं को रोकने के कड़े उपाय किये जाएँ।
- राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाएँ।
- सरकार को जैव-विविधता के संरक्षण के नागरिक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट जैसे पहलों को अपनाना चाहिए।

भारतीय जैव-विविधता के संरक्षण में नागरिक-वैज्ञानिक प्रोजेक्ट

भारत में नागरिक-वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स से काफी परिवर्तन आ रहा है, इन प्रोजेक्ट्स की सहायता से जैव-विविधता के बारे में वैज्ञानिक सूचना के संग्रहण में काफी सहायता मिलती है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स से लोग पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए सूचना एकत्रित करके प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। जैव-विविधता से संबंधित डाटा एकीकरण में नागरिकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

- वर्तमान में जैव-विविधता का संरक्षण आवश्यक हो गया है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

रैट-होल माइनिंग: खदान में मृत्यु का पर्याय

प्र. हाल ही में रैट-होल माइनिंग के कारण मेघालय में 15 मजदूरों का जीवन जोखिम में पड़ गए हैं। रैट-होल माइनिंग को स्पष्ट करते हुए इसके कारणों तथा प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- रैट-होल माइनिंग क्या है?
- रैट-होल माइनिंग के प्रकार
- रैट-होल माइनिंग के कारण
- रैट-होल माइनिंग के प्रभाव
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में मेघालय में 370 फुट गहरी अवैध खदान में लायतिन नदी का पानी आ जाने के कारण 15 श्रमिक फंस गये। उन लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियाँ काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है।

रैट-होल माइनिंग क्या है?

- मेघालय के जयंतिया पहाड़ियों में छोटी खानों से कोयला निकाला जाता है जो कि आमतौर पर 3-4 फुट चौड़ी होती है।
- पहाड़ों पर उपस्थित होने के कारण तथा मशीनों के न पहुँच पाने के कारण सीधे मजदूरों से काम लेना ज्यादा आसान पड़ता है। मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। चूँकि मजदूर इन खदानों में चूहों की तरह घुसते हैं इसलिए इसे रैट माइनिंग कहा जाता है।

रैट-होल माइनिंग के प्रकार

- कोयला खनन के लिए मुख्यतः दो तरीके हैं-
 - पहला तरीका है सरफेस माइनिंग (सतह खनन)
 - दूसरा तरीका है भूमिगत खनन (Under ground mining)
- जब कोयला पृथ्वी की सतह से 200 फीट से कम में उपलब्ध होता है तो सतह खनन का तरीका अपनाया जाता है। खुली खदानों से कोयला उन क्षेत्रों से निकाला जाता है जहाँ वर्षा कम होती है।
- जिन कोयला भण्डारों में सतह खनन मुमकिन नहीं होता है (200 फीट

से अधिक गहराई पर उपलब्ध) तो वहाँ भूमिगत खनन अपनाया जाता है। भूमिगत खनन में बड़ी पूँजी की जरूरत होती है।

रैट-होल माइनिंग के कारण

- पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले का संचित भण्डार।
- सस्ते दाम पर श्रमिकों की उपलब्धता।
- खनन माफियाओं का बोलबाला।
- राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
- कोयले की उच्च गुणवत्ता न होने पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की अनदेखी।
- लोगों द्वारा जमीन तथा इसमें उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार समझना।

रैट-होल माइनिंग के प्रभाव

- रैट-होल माइनिंग से अस्थमा और आँखें खराब होने की समस्या तथा खान में उड़ती तेज धूल की वजह से साँस लेने में दिक्कत होती है। यह धूल फेफड़े में जमा हो जाती है जिससे कि फेफड़ा खराब हो जाता है।
- कोयले की खानों में जहरीली गैसों और मरकरी जैसे कई घातक तत्व भी होते हैं जिसकी वजह से खनिक मजदूरों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या होने की संभावना बढ़ जाती है।

चुनौतियाँ

- एक NGO के अनुसार जयंतिया पहाड़ियों के आसपास करीब 70 हजार बच्चे रैट माइनिंग का काम करते हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मेघालय में रैट होल माइनिंग पर बैन लगाया था, जो कि महज एक दिखावा साबित हुआ, इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- कोयले की ये खान काफी पुरानी और अवैध है। इस तरह की खानें मेघालय में सामान्य बात है। कोयले की ये खानें बहुत सक्रिय होने के कारण खतरनाक होती हैं। इन खानों से कोयला निकालने के लिए मजदूर बाँस की सीढ़ियों से खान के अन्दर जाते हैं जिससे अकसर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

आगे की राह

- रैट होल माइनिंग की घटनाओं से बचने के लिए मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- खनिक मजदूरों को खदान और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की शिक्षा भी दी जाने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा खदान की सुरक्षा और खनन के लिए सही तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है। ■

नई ई-कॉमर्स नीति: एक अवलोकन

प्र. हाल ही में भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों पर जो नए नियम लागू किये गए हैं इससे अनन्य सोदे (Exclusive Deal), कैशबैक और बंपर छूट जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी। इस संदर्भ में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- क्या है ई-कॉमर्स नीति?
- आवश्यकता क्यों?
- पक्ष में तर्क
- विपक्ष में तर्क
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने नई ई-कॉमर्स नीति जारी की है। इस नीति के माध्यम से सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर जो नए नियम लागू किए हैं उससे एक्सक्लूसिव डील, कैशबैक और बंपर डिस्काउंट जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। सरकार ने ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में भी बदलाव किया है।

परिचय

- भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। वर्ष 2016 में भारत में ई-कॉमर्स उद्योग का आकार 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका 2020 तक बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 2017 के दौरान भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में 24.08% की वृद्धि दर्ज की गई थी और इस क्षेत्र का कुल टर्नओवर 20.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समकक्ष था।
- भारत में कुल खुदरा व्यापार में से वर्ष 2017 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र का हिस्सा 4.2% था, जिसका 2020 तक 5% तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में ई-कॉमर्स के इस आशाजनक प्रदर्शन ने विभिन्न तिमाहियों में इसके निवेश को आकर्षित किया है। टाटा, रिलायंस और बिड़ला जैसे लगभग सभी प्रमुख घरेलू कॉर्पोरेट दिग्गज इस क्षेत्र में उतर गये हैं।

क्या है ई-कॉमर्स नीति?

- ई-कॉमर्स नीति हितधारकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील डिजिटलीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाना है। यह नीति शासन के विनियमन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों की पहचान करेगी। साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा ई-कॉमर्स के माध्यम से 'डिजिटल इंडिया' अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेगी। यह मसौदा नीति विभिन्न एजेंसियों को निर्धारित प्रावधानों के पालन के लिए भी प्रस्तावित करता है।

आवश्यकता क्यों?

- नए नियम के अनुसार इन प्लेटफॉर्मों को किसी भी तरह के पक्षपात से मुक्त करना है।
- नियमों में इस संशोधन का मकसद घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करना है क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खरीददारों को बड़े पैमाने पर दी जा रही रियायतों को लेकर घरेलू कारोबारी शिकायत करते रहे हैं।
- सरकार के अनुसार, 'साल 2016 के प्रेस नोट 3 में जो बातें कही गई थीं, उन्हें अच्छी तरह से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।' इसमें कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियाँ कीमतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से असर नहीं डाल सकते।

पक्ष में तर्क

- नये दिशानिर्देशों का सबसे बड़ा फायदा छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट तक बेचने वाली पारंपरिक कंपनियों को होगा। पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन मार्केट ने इन कंपनियों को बड़ा झटका दिया था। ऑनलाइन कंपनियों ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट्स और कैशबैक जैसे आकर्षक ऑफर्स देती है।
- साथ ही, घर में ही सामान पहुंचाने का भी लाभ उन्हें मिलता था। अब जब सरकार कैशबैक और डिस्काउंट पर लगाम लगाने जा रही है तो इससे पारंपरिक विक्रेताओं को लाभ होगा क्योंकि अब ऑनलाइन प्लैटफॉर्म ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक नहीं रह जाएंगे।

विपक्ष में तर्क

- स्पष्ट है कि नियमों के कठोर होने से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वे बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को लुभाने में कामयाब रहे हैं लेकिन नया नियम लागू होने पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।

आगे की राह

- नीति निर्माताओं को एक जीवंत घरेलू उद्योग को आकार देने का भी ध्यान रखना चाहिए।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय दोनों मंचों पर भारत की स्थिति दर्शाने के लिए एक व्यापक नीति का होना आवश्यक है।
- मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के तहत अपनी विशाल आबादी के लिए भारत ई-कॉमर्स फर्मों को एक बड़ा बाजार प्रदान करता है। ■

परिवार कल्याण के लिए अम्ब्रेला योजना

प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार ने परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। ये 5 योजनायें स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार सहयोगात्मक साबित होगी? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय

- योजना का उद्देश्य
- आवश्यकता क्यों?
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान 'परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना' में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

परिचय

- समग्र योजना के तहत ये शामिल सभी पाँचों योजनाएँ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, जिनके लिए शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं:- स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए), गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) योजना का नाम अब स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (एचएसएचआर), गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पीआरसी)।

योजना का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ-साथ उन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को भी अपनी ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान करना है, जिन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य बीमार लोगों की देखभाल से भी कहीं आगे बढ़कर आरोग्य (वेलनेस) की अवधारणा की ओर अग्रसर होना है, जिसके लिए पारम्परिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े समस्त साधनों का उपयोग किया जाएगा।

आवश्यकता क्यों?

- भारत सरकार द्वारा नई स्वास्थ्य नीति लाई गई जिसके अंतर्गत कई सकारात्मक कार्य किये गये और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त भी किया गया है लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी का परिणाम है कि कैबिनेट समिति ने परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है।
- चूँकि भारत भौगोलिक और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से एक बड़ा देश है इसलिए स्वास्थ्य नीति के तहत कई लक्ष्यों को पाना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। स्वास्थ्य देखभाल की सर्वाधिक खराब स्थिति गाँवों में है जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार अब न सिर्फ शहरों बल्कि गाँवों में भी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है।

चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती कम सार्वजनिक खर्च है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुश्किल से 17 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि अनुमानित विकास लक्ष्य के लिए 85 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आवश्यकता है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम खर्च के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा खराब हो गया है और कहीं कहीं तो इनका अभाव भी देखने को मिलता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों या अविक्सित क्षेत्रों में जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च सिर्फ 5% है जबकि वहीं इन क्षेत्रों में बीमारी का बोझ लगभग तीन चौथाई है।

निष्कर्ष

- प्रस्ताव में सूचीबद्ध पाँच योजनाएँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्यों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ नागरिक अभियान योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सकता है।
- डब्ल्यूएचओ के कई मानकों पर भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया है, जो सरकार तथा नागरिक दोनों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत स्वास्थ्य के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करेगा जिससे कि उसके सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल देश के विकास में कर सकेंगे। ■

भारत-बांग्लादेश के बीच गहराता संबंध

- प्र. हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने जीत दर्ज की है। बांग्लादेश में संपन्न यह चुनाव भारत-बांग्लादेश संबंधों को किस हद तक प्रभावित करेगा? समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत-बांग्लादेश संबंधों की आवश्यकता
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश के आम चुनावों में लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त हुआ। शेख हसीना की अगुआई में अवामी लीग गठबंधन ने 300 में से 288 सीटों पर जीत हासिल किया जिसमें अवामी लीग की मुख्य सहयोगी 'जातीय पार्टी' को 21 सीटें मिली। प्रमुख विपक्षी दल 'नेशनल यूनिटी फ्रंट' (एनयूएफ) और इसके सहयोगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) महज 7 सीटों पर सिमट कर रह गईं।

पृष्ठभूमि

- एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश 1971 में बना तथा इसको मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था। दिसंबर, 1971 में इसकी आजादी के शीघ्र बाद इस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच काफी

समानताएँ हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं; जैसे- साझी ऐतिहासिक एवं सामान्य विरासत, भाषायी एवं सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य एवं कला आदि। ये समानताएँ हमारे बहुआयामी एवं विस्तृत हो रहे संबंधों में परिलक्षित होते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- बांग्लादेश की जीडीपी पिछली तिमाही में 7.6% की दर से बढ़ी है जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 9 बिलियन से अधिक है। हाल ही में निर्मित पदमा बहुउद्देश्यीय पुल और अखौरा-अगरतला रेलवे लिंक बांग्लादेश तथा भारत के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। व्यापार की लागत को कम करने के लिए जलमार्गों को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों की आवश्यकता

- भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध तीन प्राथमिक स्तंभों, समेकित आतंकवाद विरोधी पहल, व्यापार एवं वाणिज्य तथा द्विपक्षीय विश्वास निर्माण के प्रयास के आधार पर मजबूत हो सकता है।
- बांग्लादेश का यह चुनाव इस लिहाज से भी अहम था, क्योंकि इस सियासी महासमर में भारत विरोध का कोई मुद्दा नहीं था। भारत के लिहाज से यह एक बेहद सकारात्मक बदलाव था।

चुनौतियाँ

- इस्लामिक संगठन धार्मिक कट्टरपंथी और उग्रवादी विचारों के लिए आधार बन गए हैं जो भविष्य में बांग्लादेश में शासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे।
- वर्तमान समय में चल रहा रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी भारत-बांग्लादेश संबंधों की मजबूती में दरार का काम करेगा जिसने बांग्लादेश पर आर्थिक और सुरक्षा का बोझ डाला है।
- अवैध प्रवासन का मुद्दा हो या फिर असम में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के मसौदे का प्रकाशन आदि ने भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट का काम किया है।

आगे की राह

- बांग्लादेश, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संपर्क और एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
- सकारात्मक शुरुआत करने के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश से किए गए वादों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें तीस्ता जल संधि का समाधान महत्वपूर्ण चरण होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के कारण जल बंटवारा संधि 2011 से लंबित है। भारत को दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पर जोर देना चाहिए तथा बांग्लादेश में चल रहे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देना चाहिए। ■

आईडब्ल्यूसी: व्हेलों का संरक्षक

प्र. हाल ही में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन आईडब्ल्यूसी (IWC) से अलग होने का फैसला किया है। आईडब्ल्यूसी (IWC)

का परिचय देते हुए, जापान द्वारा उठाये गये इस कदम के कारणों तथा प्रभावों की समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान स्थिति
- जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- जापान ने 26 दिसंबर 2018 को कहा कि वह इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (आईडब्ल्यूसी) से अलग हो रहा है और 2019 से व्हेल पकड़ने का व्यावसायिक काम फिर शुरू करेगा। इस घोषणा की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। जापान इस साल की शुरुआत में व्यावसायिक व्हेलिंग फिर शुरू करने की अनुमति देने के लिए आईडब्ल्यूसी को मना नहीं पाया था जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। जापान ने इसी साल विवादित सालाना व्हेल शिकार अभियान के दौरान मिनक प्रजाति की 122 गर्भवती व्हेलों को मार डाला था।

पृष्ठभूमि

- जापान, नार्वे और आइसलैण्ड जैसे तटीय देशों व्हेल के शिकार में सदियों से लिप्त रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागरिकों को प्रोटीन की जरूरतें पूरी करने के लिए व्हेल के शिकार में तेजी आई थी। वर्तमान समय में जापान में व्हेल का मीट खाने वालों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसका एक कारण व्हेल के शिकार पर लगा प्रतिबंध भी है।

वर्तमान स्थिति

- आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कनजर्वेशन ऑफ नेचर) का अनुमान है कि वर्तमान में व्हेलों की संख्या शायद 10,000 से 25,000 के बीच है। इससे पहले इनकी सबसे बड़ी आबादी अंटार्कटिका में थी जो लगभग 2,02,000 से 3,11,000 के आसपास थी। इसके अलावा पूर्वी उत्तरी प्रशांत, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में इनकी संख्या करीब 2000 के आसपास थी। 2014 में कैलिफोर्निया के नीली व्हेल की आबादी में तेजी दर्ज की गई और यह लगभग अपने शिकार से पूर्व की आबादी तक पहुंच गई।

जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- इससे पहले भी जापान ने कई बार इस निकाय से बाहर निकलने की धमकी दी थी।
- जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के बावजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमित रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान समय में पूरे विश्व में न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदले हैं

बल्कि आर्थिक व्यवहार भी परिवर्तित हुआ है। एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था सागरीय संसाधनों पर ही टिकी है इसलिए उन पर मत्स्य संबंधी प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है।

- वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास ने व्हेल मछलियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों को एक तरफ कम किया है, तो दूसरी तरफ बढ़ा भी दिया है। नई-नई तकनीकी के कारण इन मछलियों का शिकार करना आसान हो गया। साथ ही इसके माध्यम से इनका अवैध शिकार भी बढ़ गया है।

आगे की राह

- आईडब्ल्यूसी (IWC) के द्वारा व्हेलिंग पर लगाया जा रहा प्रतिबंध एक अच्छा कदम है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सागरीय क्षेत्रों से जुड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित न हो अर्थात् पक्षपातपूर्ण नीतियों को त्यागना होगा।
- जापान को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि व्हेलिंग का इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तो हो लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों में इसका प्रयोग न किया जाय। यह एक संकटग्रस्त जीव है और इसका संरक्षण अतिआवश्यक है। ■

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जुड़ाव के लिए एक नई पहल

- प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी विकास को बताते हुए इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- महत्व
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से स्टील से निर्मित पुल है, जिसकी लम्बाई 4.94 किलोमीटर है।

पृष्ठभूमि

- इस परियोजना का शिलान्यास 22 जनवरी, 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा किया गया था। हालांकि इस पर काम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 21 अप्रैल 2002 को हुई। इस परियोजना में हुई देरी के कारण इसकी लागत 85 फीसदी तक बढ़ गई। इस ब्रिज के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया।

महत्व

- यह पुल पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सेना और हथियारों की आवाजाही को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह इस तरह से बनाया गया है कि आपात स्थिति में इस पर लड़ाकू जेट विमान भी उतारा जा सकता है। इस तकनीक के प्रयोग के कारण एयरफोर्स को तीन लैंडिंग पट्टियाँ उपलब्ध हो पाएंगी।
- यह पुल इतना मजबूत है कि आपात स्थिति में इससे सेना के बड़े टैंक भी गुजर सकेंगे।

चुनौतियाँ

- उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) की धीमी प्रगति के पीछे निम्नलिखित कारण रहे हैं- भौगोलिक कारक, अवसंरचनात्मक कारक, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, परिवहन और संचार,

आगे की राह

- पिछले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है हालांकि इस दौरान पूर्वोत्तर का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस तरह से शेष भारत का हुआ है। लेकिन अब समय पूर्वोत्तर पर ध्यान देने का है।
- सड़क, रेल, और अंतर्देशीय जलमार्ग तथा वायु संपर्क और संचार नेटवर्क में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास स्वागत योग्य कदम है। ■

सीबीडी को भारत का छठवाँ राष्ट्रीय रिपोर्ट

- प्र. जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) से आप क्या समझते हैं? सीबीडी के कार्यों का जिक्र करते हुए सीबीडी पर छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है रिपोर्ट?
- रिपोर्ट की मुख्य बातें
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने 29 दिसम्बर 2018 को जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के लिए अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट (एनआर-6) सौंप दी है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) की 13वीं राष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन सत्र में सीबीडी सचिवालय को ऑनलाइन यह रिपोर्ट भेज दी है।

क्या है रिपोर्ट?

- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य जैव-विविधता बोर्डों की 13वीं राष्ट्रीय बैठक में पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी। इस बैठक का आयोजन राष्ट्रीय जैव-विविधता परिषद ने किया। विदित हो कि राष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रस्तुति सीबीडी सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पक्षकारों के लिए एक अनिवार्य बाध्यता है।

- एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं छोड़ा है और इससे पहले सीबीडी को समय-समय पर पाँच राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। छठी रिपोर्ट में 20 वैश्विक एआईसीएचआई (AICHI) जैव-विविधता लक्ष्यों के अनुरूप संधि प्रक्रिया के तहत विकसित 12 राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में प्रगति की ताजा जानकारी दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की राह पर अग्रसर है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- इस रिपोर्ट के अनुसार, 1968 में शेरों की संख्या 177 थी जो 2015 में बढ़कर 520 हो गयी है, जबकि हाथियों की संख्या 1968 में 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गयी है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में एक सींग वाला गैंडा विलुप्त होने की कगार पर था। अब इसकी जनसंख्या बढ़कर 2400 हो गयी है।
- भारत में कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि के लिये संपोषणीय प्रबंधन अपनाया गया है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किये बिना सभी को भोजन एवं पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त हो सके।

- 15वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2017 के मुताबिक भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गयी है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में जैव-विविधता के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं, जैसे कि- आवासीय विखंडन, संसाधनों का अधिक दोहन, कम होती आनुवंशिक विविधता, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, वन संसाधन में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण तथा प्रदूषण का प्रभाव आदि। इन चुनौतियों के मद्देनजर जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिला है।

आगे की राह

- असुरक्षित जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- किसी विशेष प्रजाति को ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाय।
- पशु-पक्षियों के शिकार की घटनाओं को रोकने के कड़े उपाय किये जाएँ।
- राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाएँ।
- सरकार को जैव-विविधता के संरक्षण के नागरिक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट जैसे पहलों को अपनाना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को अलग-अलग उच्च न्यायालय मिला

हाल ही में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को 01 जनवरी 2019 को अपना अलग-अलग उच्च न्यायालय दिया गया है। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य गठित किये जाने के चार वर्ष से अधिक समय बाद यह कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है।

न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन ने हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। वे पिछले साल जुलाई से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए हैदराबाद में

न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे थे। जबकि, सी. प्रवीण कुमार ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

न्यायाधीश सी. प्रवीण कुमार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गयी है। उनकी नियुक्ति 16 न्यायाधीशों के पूल में से की गयी है। न्यायाधीश प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। विदित हो कि राज्यों के विभाजन के उपरांत अमरावती राज्य की नई राजधानी

बनाई गई है इसलिए यहीं पर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।

गौरतलब है कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। उस समय से ही हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के तौर पर काम कर रहा था। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच उच्च न्यायालय के विभाजन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिस पर अमल करते हुए दोनों राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। ■

2. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीन द्वीपों को नया नाम

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय भूमि पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने के 75वें वर्षगांठ (पहली बार 30 दिसंबर 1943) के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार के तीन द्वीपों रॉस, नील और हवेलॉक के नाम बदले की घोषणा की है। इनका नया नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मरीना पार्क में 150 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

रॉस द्वीप की विशेषताएँ

रॉस द्वीप (अब सुभाष चन्द्र बोस द्वीप) ब्रिटिश वास्तुशिल्प के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। फीनिक्स उपसागर से नाव के माध्यम से चंद मिनटों में रॉस द्वीप पहुंचा जा सकता है। सुबह के समय यह द्वीप पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है।

हैवेलॉक द्वीप की विशेषताएँ

हैवेलॉक द्वीप (अब स्वराज द्वीप) का नाम अंग्रेज अधिकारी हेनरी हैवेलॉक के नाम पर रखा गया है। यह अंडमान का प्रमुख पर्यटक स्थल है, और हर साल हजारों की संख्या में सैलानी इसे देखने आते हैं। वर्ष 2004 में टाइम पत्रिका ने इसे एशिया का सबसे बेहतरीन तट घोषित किया था। यहां के साफ समुद्री तट और मंग्रोव वृक्षों की कतारें यहां की विशेषताएँ हैं।

नील द्वीप की विशेषताएँ

पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर उत्तर-पूर्व दिशा में नील (अब शहीद द्वीप) नामक एक छोटा सा द्वीप है, यह रिची द्वीप समूह क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 3,000 से भी कम है। यहां के कोरल रीफ और अंग्रेजी शासन के समय के खंडहर

बेहद प्रसिद्ध हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाएँ

- प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौर पर एक स्मारक डाक टिकट, 'फर्स्ट डे कवर' और 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर एक मानद विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की।
- केंद्र सरकार ने देश के मछुआरों के कल्याण के लिए 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त करना।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए कोकोनट हस्क का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ■

3. महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना

हाल ही में केन्द्र सरकार ने महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि केन्द्र सरकार के समक्ष आन्ध्र प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। विदित हो कि हरियाणा द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान शुरु किया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फण्ड के तहत इसकी शुरुआत हरियाणा स्थित करनाल में की गयी थी।

महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना के मुख्य बिंदु

- महिला पुलिस स्वयंसेवक कोई भी महिला

हो सकती है जो स्वैच्छिक रूप से लड़कियों व महिलाओं को हिंसा मुक्त व लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में सहायता कर सके। इस योजना के तहत एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसके तहत महिला उसी क्षेत्र की होनी चाहिए और उसे क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। इस योजना से जुड़ने वाली किसी भी महिला का कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं हो सकती है।

- बता दें कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश

में महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस तथा महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेंगी। महिला पुलिस स्वयंसेवक को “महिला व शिशु रक्षक दल” का निर्माण करना होगा।

- महिला पुलिस स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट करना है।
- महिला पुलिस स्वयंसेवक एक मानद पद है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का मानदेय दिया जायेगा। ■

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक

हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक-2019 को पास किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुछ संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। बता दें कि लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। यह विधेयक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम 1993 में संशोधन के लिए लाया गया था।

विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य:

- विधेयक के तहत नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति भी पूर्व प्रभाव से प्रदान की जाएगी।
- सदन में पेश किए गये विधेयक में एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) की स्थापना के बाद से लेकर अकादमिक वर्ष 2017-18 तक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्रदान की गई है।
- विधेयक में नए पाठ्यक्रम शुरू करने या निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण की अनुमति

पूर्व प्रभाव से देने की बात की गयी है।

- इस विधेयक के कानून बनने से बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त नहीं थी।
- सरकार बीएड शिक्षा के नये शिक्षण संस्थानों को अनुमति नहीं दे रही है। वर्ष 2020 से केवल एकीकृत बीएड डिग्री की पढ़ाई होगी लेकिन मान्यता दोनों पाठ्यक्रमों की होगी। कुछ समय तक दोनों पाठ्यक्रम रहेंगे और इसके बाद इनके बारे में फैसला होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि पूर्व प्रभाव से अनुमति प्रदान करना आवश्यक था क्योंकि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले हजारों छात्रों की डिग्री को कहीं मान्यता नहीं मिलने से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले तीन साल के दौरान किसी नए बीएड (अध्यापक प्रशिक्षण) महाविद्यालय को कोई मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education)

यह केन्द्र सरकार की एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 द्वारा की गयी थी। इसका मुख्य कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक व प्रक्रियाओं इत्यादि का अवलोकन करना है। एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ निर्मित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

महत्व

- विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य संस्थानों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने परिषद द्वारा अनुमोदन के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए थे। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वाले लगभग 17 हजार छात्रों का भविष्य सुरक्षित है।
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों, जैसे कि बीएड व अन्य को परिषद से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ■

5. नागालैंड में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समूचे नागालैंड को फिर से 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके मुताबिक, 30 दिसंबर 2018 से छह महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 (AFSPA) लागू कर दिया गया है।

म्यामांर की सीमा से सटा हुआ नागालैंड आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षाबलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

नागालैंड में दशकों तक लागू रहा है AFSPA

नागालैंड में AFSPA कई दशकों से लागू है। इस कानून को नागा उग्रवादी समूह एनएससीएन (आईएम) महासचिव टी मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 3 अगस्त 2015 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी नहीं हटाया गया। रूपरेखा समझौता 18 वर्षों की 80 दौर की वार्ताओं के बाद हुआ था, इसमें पहली सफलता 1997 में तब मिली थी जब नागालैंड में दशकों से चला आ रहा उग्रवाद के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ था। गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक, 2014 में जहाँ हिंसा की 77 घटनाएँ प्रदेश में हुईं, वहीं 2017 में यह घटकर 19 पर आ गई।

सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) क्या है?

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवादियों तथा उपद्रवियों से निपटने के लिए 11 सितम्बर 1958 को AFSPA कानून लागू किया गया था। इसके अलावा जब 1989 के आस-पास जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इसे वहाँ भी लागू कर दिया गया था।

किसी क्षेत्र विशेष में AFSPA तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" अर्थात् डिस्टर्ब्ड एरिया (Disturbed Area) घोषित कर देती है। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। ■

6. तीन बैंकों का विलय

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के लिए विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा हस्तांतरिती बैंक होगा और विजया बैंक तथा देना बैंक हस्तांतरणकर्ता बैंक होंगे। विलय के बाद यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा।

विलय से इन बैंकों को मजबूत वैश्विक स्पर्धी बैंक बनने में मदद मिलेगी। आकार और आपसी समन्वय की दृष्टि से बैंकों को एक-दूसरे के नेटवर्क, कम लागत की जमा और तीनों बैंकों की सहायक संस्थाओं की शक्तियों का लाभ मिलेगा और इसके उपभोक्ता आधार, बाजार पहुंच, संचालन क्षमता, उत्पादकता और सेवा आधार में

बढ़ोतरी होगी।

विलय योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातें-

- योजना 01.04.2019 से प्रभावी होगी।
- योजना प्रारंभ होने पर हस्तांतरणकर्ता बैंकों के सभी व्यावसाय हस्तांतरिती बैंक को हस्तांतरित कर दिये जाएंगे और हस्तांतरिती बैंक के पास सभी व्यावसाय परिस्मात्तियाँ, अधिकार, स्वामित्व, दावे, लाइसेंस, स्वीकृतियाँ, अन्य विशेषाधिकार और सभी उधारी, देनदारियाँ और दायित्वा होंगे।
- हस्तांतरणकर्ता बैंक के सभी स्थायी और नियमित अधिकारी या कर्मचारी हस्तांतरिती बैंक में अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

हस्तांतरिती बैंक में उनकी सेवा में दिये जाने वाले वेतन और भत्ते हस्तांतरणकर्ता बैंकों के अपने-अपने वेतन और भत्ते से कम आकर्षक नहीं होंगे।

- हस्तांतरिती बैंक हस्तांतरणकर्ता बैंक के शेयर धारकों को शेयर अदला-बदली अनुपात के अनुसार शेयर जारी करेगा। हस्तांतरिती बैंक तथा हस्तांतरणकर्ता बैंकों के शेयर धारक शेयर अदला-बदली अनुपात के संबंध में यदि कोई शिकायत है, तो उसे विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उठाने में सक्षम होंगे।
- हस्तांतरिती बैंक का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि हस्तांतरित होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के हित सुरक्षित है। ■

7. नए पैकेजिंग नियमों पर एफएसएसआई का दिशा निर्देश

देश के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने खाद्य उद्योग जगत को एक जुलाई से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के नए नियम खाने-पीने की चीजों को पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक और अखबारों में

पैक करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसमें खाने-पीने के सामान को लाने ले जाने भंडारण करने वाले और वितरण करने वाले थैलों में भी अखबार या पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना है। स्याही और डाई के कैसरजनक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए एफएसएसआई ने इन नियमों के

तहत अखबार में खाने-पीने वाली चीजों को बांधने पर भी रोक लगाई है। साथ ही खाद्य सामग्री की पैकेजिंग पर छापी जाने वाली स्याही के इस्तेमाल को भी भारतीय मानकों के अनुरूप तय किया गया है। एफएसएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने एक बयान में कहा

कि नए पैकेजिंग नियम भारत में खाद्य सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में इन नियमों के अनुपालन में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करने से पहले पर्याप्त समय दिया जा रहा है। नए पैकेजिंग नियम एक जुलाई 2019 से प्रभाव में आएंगे।

एफएसएसएआई के बारे में

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण,

fssai

Food Safety and Standards Authority of India

बिक्री और आयात के सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।

- एफएसएसएआई का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के

तहत किया जाता है।

- इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- साथ ही यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी करता है।

अंतर्राष्ट्रीय

1. एक्स-कैलिबर उपकरण

- हाल ही में एक्स-कैलिबर उपकरण (X-Calibur Instrument) को वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा अंटार्कटिका स्थित 'मैकमडो स्टेशन' से लॉन्च किया गया।
- यह उपकरण न्यूट्रॉन तारों, ब्लैक होल्स और अन्य खगोलीय पिण्डों से आने वाली एक्स-किरणों (X-Rays) के विद्युत ध्रुवीकरण (Electric Polarisation) का विश्लेषण करेगा।
- वाशिंगटन विश्वविद्यालय ने हीलियम गुब्बारे की सहायता से इस उपकरण को पृथ्वी से लगभग 1,30,000 फीट की ऊँचाई पर स्थापित किया है।
- एक्स-कैलिबर उपकरण मुख्य रूप से वेला एक्स-1 (Vela X-1), जो एक न्यूट्रॉन तारा है, से आने वाली एक्स-किरणों का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त यह आधुनिक भौतिकी के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी विश्लेषित करेगा-
 - क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (Quantum Electrodynamics)
 - सामान्य सापेक्षिकता का सिद्धान्त (Theory of General Relativity)
- न्यूट्रॉन तारे बहुत छोटी त्रिज्या (लगभग 30 किमी) और बहुत उच्च घनत्व वाले खगोलीय पिण्ड होते हैं। न्यूट्रॉन तारे का निर्माण सामान्य तारे में सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद उसके बचे हुए अवशेष से होता है। ■

2. ग्रीन-एजी परियोजना

भारत सरकार ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility - GEF) के तत्वाधान में एक परियोजना का अनावरण किया है जिसका नाम है- ग्रीन-एजी।

इस परियोजना को पांच राज्यों के उच्च संरक्षण-मूल्य वाले क्षेत्रों में लॉन्च किया गया (i) मध्य प्रदेश: चंबल लैंडस्केप, (ii) मिजोरम: डम्पा लैंडस्केप, (iii) ओडिशा: सिमिलिपाल लैंडस्केप, (iv) राजस्थान: डेजर्ट पार्क लैंडस्केप और (v) उत्तराखंड: कॉर्बेट-राजाजी लैंडस्केप।

इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन जैसे उद्देश्यों और प्रथाओं को मुख्यधारा में लाना है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय और वैश्विक

पर्यावरणीय उपलब्धि और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाला है। इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से 33.5 मिलियन डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

Global Environment Facility (GEF)

- Global Environment Facility 1992 के Rio Earth Summit के अवसर पर स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी के गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायता पहुँचाना है।

- यह एक वित्तीय संगठन है जो स्वतंत्र रूप से निधि मुहैया कराता है जो इन परियोजनाओं से सम्बंधित हैं- जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, जैविक प्रदूषण, पारा, सतत वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा आदि।
- GEF में 183 देशों की भागीदारी है। साथ ही इसके अन्य भागीदार हैं- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, निजी क्षेत्र।
- GEF विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों तथा समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधि मुहैया कराता है।
- Global Environment Facility के निधि का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। ■

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच नए अस्थायी सदस्य

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों यथा दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी और बेलजियम को चुना गया है। जनवरी, 2019 से इनका कार्यकाल दो साल का होगा। इन पाँच गैर-स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के अनुसार निर्वाचित किया गया है। इसमें अफ्रीकी राज्यों के समूह और एशिया-प्रशांत

राज्य समूह के लिए दो सीटें, लैटिन अमेरिकी और कैरीबियाई राज्यों के समूह के लिए एक सीट और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो सीटें हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।

परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका स्थायी सदस्य हैं तथा दस अस्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्यों को सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनती है।

गैर-स्थायी सदस्य प्रत्येक दो साल के लिए चुने जाते हैं, इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। यह

एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों के

बीच संघर्ष या विवाद सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। ■

4. अमेरिका और इजरायल ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी

हाल ही में अमेरिका और इजरायल ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से अलग होने का निर्णय लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई इस संस्था से दोनों देशों का अलग होना बड़ा झटका है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर, 2017 में ही यूनेस्को पर इजरायल के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हुए इससे बाहर होने का नोटिस दे दिया था। उन्होंने संस्था पर बढ़ते आर्थिक बोझ पर भी चिंता जताई थी और यूनेस्को में मूलभूत बदलाव करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिका के

नक्शे कदम पर चलते हुए इजरायल ने भी इससे बाहर होने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि यूनेस्को ने 2011 में फिलिस्तीन को अपनी स्थायी सदस्यता दी थी। साथ ही यहूदियों की धरोहर पर फिलिस्तीन के हक को पुष्ट किया था। अमेरिका और इजरायल इसको लेकर यूनेस्को से नराज थे। दोनों देशों के इस कदम से हालांकि इस संस्था पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 2011 से ही दोनों ने इसकी फंडिंग रोक रखी थी। ज्ञातव्य हो कि अमेरिका 1984 में भी यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। 2003 में दोबारा उसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी।

क्या है यूनेस्को?

यूनेस्को का गठन 4 नवम्बर 1946 को हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान संस्कृति संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं इसके अलावा सात सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। दुनिया भर के 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। ज्ञातव्य है कि भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। ■

5. विश्व में पहला 'ब्रेल दिवस' मनाया गया


विश्वभर में 04 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस के लिए 06 नवम्बर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टि-बाधित लोगों के अधिकार प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल (फ्रांस) के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है।

ब्रेल लिपि क्या होती है?

ब्रेल एक कूट भाषा है, जिसमें वर्णों और संपूर्ण अक्षरों की प्रस्तुति के लिए सतह पर उभारों और



अभिज्ञानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है।

ब्रेल में उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें 'सेल' के नाम से जाना जाता है। कुछ बिन्दुओं पर छोटे उभार होते हैं। इन दोनों की व्यवस्था और संख्या से भिन्न चरित्रों की विशिष्टता तय की जाती है। ब्रेल की मैपिंग हर भाषा में अलग हो सकती है। एक भाषा में भी ब्रेल की कोडिंग

के अलग-अलग स्तर भी हो सकती है।

लुईस ब्रेल

लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी, 1809 को फ्रांस के कूपवरे में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुईस ब्रेल ने अपनी दोनों आँखों की रौशनी खो दी थी। 1821 में ब्रेल को फ्रांसिसी सेना के चार्ल्स बार्बिएर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में ज्ञात हुआ, इस प्रणाली में भी डॉट्स का उपयोग किया जाता था। परन्तु चार्ल्स बार्बिएर का कोड काफी जटिल था। इसके बाद उन्होंने अपनी लिपि पर कार्य शुरू किया। 1824 तक लुईस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया था, उस समय वे 15 वर्ष के थे। लुईस ब्रेल की लिपि काफी सरल थी। ■

6. सतत ऊर्जा के लिए नियामक संकेतक-2018

9 दिसंबर, 2018 को विश्व बैंक द्वारा 'सतत ऊर्जा के लिए नियामक संकेतक-2018' नामक रिपोर्ट जारी की गयी है। यह रिपोर्ट धारणीय ऊर्जा नीतियों पर वैश्विक प्रगति को दर्शाती है। हालांकि वैश्विक स्तर स्तर पर किए गए प्रयास सतत विकास लक्ष्य-7 की पहुंच से अभी भी बहुत दूर हैं।

सतत ऊर्जा के नियामक संकेतकों (आरआईएसई) के नए संस्करण में यह दर्शाया गया है, कि पिछले दशक में अक्षय ऊर्जा और

ऊर्जा निष्पादन लक्ष्यों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।

ध्यातव्य है, कि वर्ष 2010 के बाद से सतत ऊर्जा के मजबूत नीतिगत ढाँचा बनाने वाले देशों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।

यह रिपोर्ट सार्वभौमिक ऊर्जा उपभोग के विभिन्न संकेतकों के आधार पर 133 देशों और विश्व की लगभग 97 प्रतिशत आबादी के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।

वर्ष 2010-17 के मध्य सतत ऊर्जा के लिए मजबूत नीतिगत ढाँचा बनाने वाले देशों की संख्या 17 से बढ़कर 59 हो गयी है।

इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सतत ऊर्जा के लिए नियामक संकेतकों (Regulatory Indicators for Sustainable Energy-RISE) में शामिल देशों में से 93 प्रतिशत ने आधिकारिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया है, जबकि वर्ष 2010 तक यह संख्या केवल 37 प्रतिशत थी। ■

7. भारत और पाकिस्तान ने कैदियों तथा परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारत ने 347 पाकिस्तानी कैदियों की सूची द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान के साथ साझा की। वहीं पाकिस्तान द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय कैद हैं। इनमें 483 मछुआरे और 54 अन्य लोग हैं।

वर्ष 1988 में किये गये इस द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों देशों को हिरासत में मौजूद कैदियों

की सूची एक साल में दो बार (एक जनवरी और एक जुलाई) एक-दूसरे के साथ साझा करनी होती है। दोनों देश संबंधों में तनाव के बावजूद कैदियों की सूची साझा करने की परंपरा का पालन करते हैं।


भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौता


- भारत और पाकिस्तान के मध्य 31 दिसंबर 1988 को यह समझौता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। यह समझौता 27 जनवरी, 1991 से प्रभावी हुआ था।
- इसके तहत दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों


की सूची एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।


- दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार 28वां आदान-प्रदान है।
- समझौते के अनुसार दोनों देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नष्ट करने, या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, या इस संबंध में नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से, स्वयं को दूर रखेंगे।
- दोनों देश प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को अपने-अपने देशों में मौजूद परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी देंगे। ■


सात ब्रेन बूस्टर्स

















सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट

प्र. यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) में भारत के द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के पश्चात् द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट में पाँच प्रमुख घटक, राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, शमन आधारित कार्यक्रम, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताएँ तथा समर्थन प्राप्त एवं घरेलू निगरानी, रिपोर्ट व जाँच आधारित व्यवस्था को शामिल किया गया है।
- दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन में प्रस्तुत पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट का ही अद्यतन रूप है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर 2018 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) में भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) को पेश करने की मंजूरी दे दी। ■

2. बी.वी.आर. मोहन रेड्डी समिति की अनुशंसाएँ

प्र. बी.वी.आर. मोहन रेड्डी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- समिति के द्वारा दिए गये सुझाव पर AICTE द्वारा विचार किया जाएगा।
- समिति के अनुसार 2020 के बाद से नए कॉलेजों की स्थापना को रोक दिया जाना चाहिए।
- मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे परंपरागत इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अतिरिक्त सीटों को मंजूरी न दी जाए।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: उपरोक्त सभी कथन सही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद के चेयरमैन बी.वी.आर मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति अपना प्रतिवेदन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दी, जिसमें उन्होंने 2020 के बाद नए कॉलेजों की स्थापना पर रोक व उसके बाद हर दो वर्ष में नए निर्माण की समीक्षा पर बल दिया। विदित हो कि समिति के द्वारा दिए गये सुझाव पर AICTE द्वारा विचार किया जाएगा।■

3. तंबाकू उत्पादों का सादा पैकेजिंग

प्र. तंबाकू उत्पादों के सादे पैकेजिंग के परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

- दिसंबर 2012 में तंबाकू नियंत्रण (एफसीटीसी) दिशानिर्देशों पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बाद सादा पैकेजिंग पेश करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना।
- भारत ने तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक चित्रात्मक चेतावनियों का आकार 85% बढ़ाया है।
- भारत, थाइलैण्ड के बाद एशिया का दूसरा देश है जहाँ तंबाकू छोड़ने वालों को सरकारी हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है।
- भारत ने 2018 में तंबाकू के अवैध व्यापार के खिलाफ डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल की पुष्टि को अपनाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन 3 गलत है। दरअसल भारत, थाइलैण्ड, मलेशिया और सिंगापुर के बाद एशिया का चौथा देश है जहाँ तंबाकू छोड़ने वालों को सरकारी हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है। ■

4. आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक

प्र. आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- इस विधेयक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आधार संख्या रद्द नहीं कर सकता है।
- आधार के दुरुपयोग पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
- इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आधार न होने पर किसी भी सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: उपर्युक्त कथनों में से 1 और 3 सही नहीं है। दरअसल आधार संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आधार संख्या धारण करने वाले किशोरों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प होगा। साथ ही किसी व्यक्ति को आधार न होने पर किसी को सुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा। ■

5. एशिया आश्वासन पहल अधिनियम

प्र. एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (ARIA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस अधिनियम में एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में अरबों डॉलर खर्च किये जाने का प्रावधान है।
2. इस अधिनियम में ताइवान को अमेरिकी सहयोग नहीं दिए जाने का निर्देश है।
3. इस अधिनियम में इस्लामिक स्टेट तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के मौजूदगी पर प्रकाश डाला गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन 2 असत्य है। दरअसल एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (ARIA) कानून में ताइवान को अमेरिकी सहयोग दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति से उच्च-स्तरीय अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया गया है। ■

6. असम समझौता

प्र. असम समझौते के परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

1. असम समझौते में 1966 और 1971 के बीच आने वाले

बांग्लादेशियों को दस साल के लिए मतदान से रोका गया।

2. धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
3. यह समिति असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सीटों की संख्या का आकलन करेगी।
4. असम समझौते में उल्लेख किया गया है कि 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को भारत से निर्वासित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्र सरकार ने असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। यह निर्णय सरकार ने इस तथ्य के मद्देनजर लिया है कि असम समझौते के 35 वर्ष होने के पश्चात भी इसकी धारा-6 पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। ■

7. पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन

प्र. पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार कीजिए।

1. इस कानून में नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।
2. प्रस्तावित संशोधन अधिनियम में लैंगिक भेदभाव का प्रावधान है।
3. बाल यौन अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धारा-4, धारा-5 और धारा-6 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
4. बाल पोनोग्राफी की चुनौतियों से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14 और 15 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: उपरोक्त में से केवल कथन 2 गलत है, क्योंकि इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है जबकि शेष सभी कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित पांच सरोवरों वाले किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है?

-पंज तीरथ

2. हाल ही में जिस राज्य में मलेरिया के मामलों में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है?

-ओडिशा

3. हाल ही में वेस्ट फिल्म के लिए किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 दिया गया है?

-बोहेमियन रैपसीडी

4. वह राज्य जहाँ सरस्वती नदी के पुनरोत्थान और इसमें ताजे पानी के बहाव के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई?

-हरियाणा

5. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया?

-पंजाब

6. वह राज्य जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दोलाईथाबी बैराज परियोजना आरंभ की?

-मणिपुर

7. हाल ही में केरल का वह प्रसिद्ध उत्सव जिसके चलते प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को खोला गया है?

-मकरविलक्कू

स्रात महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की आबादी 2,413 हो गई है जो 2015 की जनगणना में 2,401 थी। इस प्रकार 12 गैंडों की वृद्धि दर्ज की गयी है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नोआगांव जिले में स्थित है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में संकटग्रस्त एक सिंग वाले गैंडे की मेजबानी करने वाला एकमात्र उद्यान है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान हाथियों, जंगली जल भैंसों और हिरणों के बड़े-बड़े समूह के लिए जाना जाता है।
- बाघों का यहाँ सबसे अधिक घनत्व होने के कारण इसे 2006 में बाघ अभयारण्य भी घोषित किया जा चुका है।
- काजीरंगा को 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- इस उद्यान में साइबेरिया से बड़ी मात्रा में पक्षी भी आते हैं।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इस पार्क का सीमांकन भी किया गया है।
- सर्दियों के मौसम में मध्य-एशिया से सफेद हंस, बतख, काले गर्दन वाले सारस और एशियाई ओपनबिल स्टॉक जैसे पक्षी यहाँ आते हैं।
- इस उद्यान में दक्षिण एशियाई प्रजाति के डॉल्फिन भी देखे जाते हैं।

2. कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य

- कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसमें 404 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका विस्तार मुरैना और श्योपुर तथा कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है। यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने से पहले कुनो एक वन्यजीव अभयारण्य था, इसे पालपुर-कुनो वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है।
- 1981 में इस वन्यजीव अभयारण्य के लिए 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि की गयी।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में भेड़िया, बन्दर, तेंदुआ तथा नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं।
- यहां एशियाई सिंहों के पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है।

3. कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

- यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऊपरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
- किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा नेशनल पार्क के साथ मिलकर यह दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण करता है।
- जैव विविधता एवं बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 2003 में इस वन्यजीव अभयारण्य को 'प्रोजेक्ट टाइगर' में सम्मिलित किया गया है।
- यह कई लुप्तप्राय प्रजातियों की शरणस्थली है जिनमें घड़ियाल, बाघ, गैंडे, गंगा डॉल्फिन, हिरण शामिल हैं।
- कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य वास्तव में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसका प्रबंधन दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ किया जाता है।
- तराई क्षेत्र में होने के कारण यहां के जंगल में साल और ढाक के पेड़, लम्बी लहलहाती घास, दलदल और तालाब-पोखरें बहुतायत में पाए जाते हैं।
- यहां कई प्रकार के ऐसे वन्य जीव रहते हैं जो अन्य जंगलों में या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं।
- यहां जंगल के बीच गिरवा नदी बहती है जिसका उद्गम नेपाल में है। इस नदी को घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए शरण स्थल घोषित किया गया है।
- यहां दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ताजे पानी में पाई जाने वाली

मछलियां और अन्य कई प्रकार के जलीय प्राणी भी देखे जा सकते हैं।

- गिरवा नदी के ताजे पानी में डॉल्फिन पाई जाती हैं।

4. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ मधुमक्खी की प्रजाति के बारे में जनकारी प्राप्त हुई है।
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य वायनाड पठार पर स्थित है। इसके साथ ही यह केरल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।
- इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
- यह अभयारण्य उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर तथा दक्षिणपूर्व में तमिलनाडु के मडुमलाई के आरक्षित वन्य क्षेत्रों के पास स्थित है।
- जैवविविधता से परिपूर्ण वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी, बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी स्थापना जैव विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी।
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रजातियों के जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है।
- वायनाड में एक दुर्लभ नीली दाढ़ी वाला पक्षी देखा गया है, जो मधुमक्खी, तितैया का शिकार करता है।
- इस अभयारण्य तक पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा कालीकट का कारीपुर और निकटतम रेलवे स्टेशन कोझीकोड है।

5. दिबांग वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में एक अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी दिबांग घाटी में 3,630 मीटर की ऊंचाई पर बाघों की मौजूदगी का पता चला है।
- दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के आठ वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है।
- यह ऊपरी दिबांग घाटी जिले में लगभग 4149 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है।
- हाल ही में इस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे मिशमी हिल्स की विशालकाय उड़न गिलहरी का नाम दिया गया है।
- दिबांग घाटी जिले का नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है।
- यह 1980 के दशक में मोलिंग नेशनल पार्क के निकट स्थापित किया गया था। बाद में 1988 में, यूनेस्को के दिशानिर्देशों के

अनुसार, यह क्षेत्र दुनिया के प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉटों में से एक, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना।

- इसमें दुर्लभ स्तनपायी जैसे कि मिशमी टेकिन, रेड गोरल, कस्तूरी मृग (कम से कम दो प्रजातियाँ), लाल पांडा, एशियाई काला भालू, तथा हिम बाघ पाए जाते हैं, जबकि पक्षियों में दुर्लभ स्केलेटर्स मोनाल और ट्रगोपान हैं।
- यह अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा संरक्षित है।

6. चिनार वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में चिनार वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति की तितलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।
- पश्चिमी घाट में स्थित इस अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती वन, ऊँचे पर्वत तथा घास के मैदान भी पाये जाते हैं।
- इडुक्की जिले में स्थित चिनार वन्य जीव अभयारण्य ग्रेट गिजल्ल गिलहरी की शरणस्थली है।
- ग्रेट गिजल्ल गिलहरी लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल है जिनकी संख्या 200 से भी कम है।
- चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल के मन्नार और इडुक्की जिला के मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- यह एक अद्वितीय संरक्षित क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसका कुछ भाग तमिलनाडु की सीमा को भी स्पर्श करता है।
- उत्तर और पूर्व में, यह तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के साथ 30 किमी की सीमा साझा करता है।
- इस अभयारण्य के नजदीक ही एक सघन चंदन वन है, जो अतिरिक्त आकर्षण का केन्द्र है। साथ ही इस स्थान पर हाथियों के झुंडों को भी विचरते हुए देखा जा सकता है।
- यह अभयारण्य केरल के 12 संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
- इसे भारत में कछुआ के पुनर्वास केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है।

7. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

- रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
- यह उत्तर भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है।
- यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय अभयारण्य अपनी

खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व प्रसिद्ध है।

- रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार ने 1955 में 'सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य' के तौर पर स्थापित किया था।
- बाद में देशभर में बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर सरकार ने इसे 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' में शामिल किया और बाघों के संरक्षण की कवायद शुरू की।
- इस प्रोजेक्ट से अभयारण्य और राज्य को लाभ मिला और रणथंभौर एक सफारी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया।
- इसके चलते 1984 में रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया गया।
- इस अभयारण्य को 'बाघों को अभयारण्य' कहा जाता है

लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी भी है। इनमें तेंदुआ, नील गाय, जंगली सूअर, सांभर, हिरण, भालू और चीतल आदि शामिल हैं।

- यह अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पति, पेड़-पौधों, लताओं, छोटे जीवों और पक्षियों के लिए विविधताओं से भरा है।
- जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। सर्दियों में अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं।
- पक्षियों में चील, क्रेस्टड सरपेंट ईगल, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, तीतर, मोर, ट्री पाई और कई तरह के स्टॉर्क देखे जा सकते हैं।
- यहाँ राजबाग तालाब, पदम तालाब, मिलक तालाब जैसे सुंदर स्थल अनेक प्रकार के जानवरों को आकर्षित करते हैं।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. एमएसएमई (MSME) से आप क्या समझते हैं? हाल ही में एमएसएमई विकास के लिए स्थापित निर्यात संवर्द्धन सेल इसको किस प्रकार लाभान्वित कर सकती है? चर्चा करें।
2. वर्तमान विश्व भूमंडलीकरण का है। ऐसे में पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे देशों के बीच जहाँ बढ़ी है वहीं पड़ोसी देशों के बीच कटुता भी बढ़ी है। इस संदर्भ में हाल ही में विश्वास बहाली के एक उपाय के रूप में भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों तथा परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करना उनके संबंधों पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा? इसकी व्याख्या करें।
3. चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नये राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं है।
4. शौचालय के स्वामित्व और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ-सुंदर-शौचालय अभियान' कहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनायेगा? इसकी समीक्षा करें।
5. सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) क्या है? क्या इस योजना के माध्यम से सरकार 31 मार्च 2019 तक देश को सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी? समीक्षा करें।
6. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट भारत की वित्तीय स्थिति को किस प्रकार दर्शाता है? चर्चा करें।
7. समुद्री पारिस्थितिकी पर मृतक्षेत्रों (डेड जोन्स) के विस्तार के क्या-क्या परिणाम होते हैं? उल्लेख करें।

UPPCS Mains Test Series 2018



**02
Dec.**

Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)

Modern India, India After Independence,
World History, History of Uttar Pradesh

**09
Dec.**

Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)

Social Issues, Art & Culture,
Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)

**16
Dec.**

Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)

World Geography, Indian Geography,
Geography of Uttar Pradesh

**23
Dec.**

Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)

Indian Polity, Constitution,
In special reference of Uttar Pradesh

**30
Dec.**

Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)

Governance and Public Policy,
International Relation
In Special Reference of Uttar Pradesh

**06
Jan.**

Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)

Indian Economy, Internal Security
in Special Reference of Uttar Pradesh

**13
Jan.**

Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)

Science & Tech., Disaster Management,
Ecology & Environment

**20
Jan.**

Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)

Ethics (Paper-I)
Ethics and Human Interface, Attitude,
E.I. and Thinkers with Case Study

**27
Jan.**

Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)

Ethics (Paper-II)
Aptitude and Value of Civil Services, Ethics
in P.A., Probity in Govt. with Case Study

**03
Feb.**

Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)

General Studies (Paper-I) Full Test

Test-11 - (3:30pm-6:30pm)

Hindi Full Test

**10
Feb.**

Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)

General Studies (Paper-II) Full Test

Test-13 - (3:30pm-6:30pm)

Essay

**17
Feb.**

Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)

General Studies (Paper-III) Full Test

Test-15 - (3:30pm-6:30pm)

Hindi Full Test

**24
Feb.**

Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)

General Studies (Paper-IV) Full Test

Test-17 - (3:30pm-6:30pm)

Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

/;S; IAS vc OqkV~l,i ij

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

IAS

9205336039

"Hi Dhyeya IAS"

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 01447354625/ 26 9205274741/42, 0149274400